स्मारिका

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

7 दिसम्बर 2023

परमवीर चक्र विजेता

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तर प्रदेश

31st KSB MEETING AT NEW DELHI ON 11th APRIL 2023

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर 2022

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 7 दिसम्बर 2022 के अवसर पर डा० हरीओम, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० को प्रतीक चिन्ह लगाते हुए तथा ब्रिगेडियर रवि निदेशक सैनिक कल्याण विभाग मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव को प्रतीक चिन्ह लगाते हुये।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस – 2022

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 7 दिसम्बर 2022 के अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों को प्रतीक चिन्ह लगाते हुये ब्रिगेडियर रवि, निदेशक सैनिक कल्याण विभाग।

जनपद स्तर पर
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस समारोह

गाजियाबाद

लखनऊ

गोरखपुर

शामली

शाहजहांपुर

कासगंज

मथुरा

प्रयागराज

बलिया

उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबन्ध समिति की 49वीं बैठक माननीया राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिक के परिवारजनों एवं उच्च अलंकरणों से सम्मानित पदक विजेताओं का सम्मान

16 दिसम्बर विजय दिवस के अवसर पर

डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव,
समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि

16 दिसम्बर विजय दिवस के अवसर पर

डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा निदेशालय में भित्ति चित्र का अनावरण

16 दिसम्बर विजय दिवस के अवसर पर

डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1971 की दो वीर नारियों को अनुग्रह अनुदान एवं एक शहीद सैनिक के आश्रित को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया

जनपद स्तर पर विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह

रायबरेली

उन्नाव

गोरखपुर

फर्रूखाबाद

चित्रकूट

गाजियाबाद

झांसी

सम्भल

सहारनपुर

जनपद अम्बेडकरनगर के वीर चक्र विजेता शहीद देवी प्रकाश की पत्नी श्रीमती फूलमती को एक मुश्त अनुदान

जनपद मेरठ के शहीद राहुल गौरव के परिजनों को रू0 50 लाख एक्स-ग्रेशिया की सहायता

दिनांक 20 नवम्बर 2022 को डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 19 शहीद सैनिक के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये

दिनांक 20 नवम्बर 2022 को डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 19 शहीद सैनिक के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये

डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण द्वारा विभागीय 04 ऑन–लाइन सेवाओं का विमोचन

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर सर्वाधिक धनराशि संग्रह के लिए जिला सैनिक कल्याण लखनऊ को रोलिंग ट्राफी प्रदान की गई

गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों पर श्रद्धांजलि एवं सम्मान कार्यक्रम

निदेशालय

प्रयागराज

सहारनपुर

सीतापुर

गोण्डा

शाहजहाँपुर

मेरठ

हापुड़

14 जनवरी 2023 सैनिक दिवस वेटरेन्स डे पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम

बिजनौर

इटावा

कौशाम्बी

बरेली

बलरामपुर

कासगंज

कानपुर देहात

झांसी

जिला सैनिक बन्धु बैठकों का आयोजन

मेरठ

सहारनपुर

कन्नौज

कानपुर देहात

गौतमबुद्ध नगर

कासगंज

भदोही

बस्ती

शामली

सुल्तानपुर

बरेली

गोण्डा

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह

इटावा

लखीमपुर खीरी

फिरोजाबाद

महोबा

शाहजहाँपुर

बरेली

05 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस

रायबरेली

उन्नाव

गोरखपुर

गोण्डा

चित्रकूट

गाजियाबाद

झांसी

सम्भल

सहारनपुर

सैनिक कल्याण के लिए गौरव के क्षण
मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के 55 विभागों में सैनिक कल्याण का प्रथम स्थान

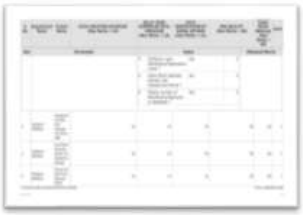

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड गाइड बुक–2022 का हिन्दी रूपान्तरण केन्द्रीय सैनिक बोर्ड मार्गदर्शिका–2022

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की पुस्तक – KSB Guide Book: 2022 का हिंदी रुपांतरण – केन्द्रीय सैनिक बोर्ड मार्गदर्शिका 2022, जो कि निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की टीम द्वारा किया गया था। यह पुस्तक केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट http//ksb-gov.in पर अपलोड कर दी गयी है। इसे आप वेबसाइट पर जाकर Circular and Publication मेन्यू में जाकर Publications से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी में उपलब्ध है। इससे हिंदी भाषी सैनिकों को योजनाओं और नियमों को समझने में आसानी होगी।

मुख्य संपादक

कप्तान (भारतीय नौ सेना) शिखर चंद्रा, डायरेक्टर (पालिसी)

संपादक मंडल

सूबेदार मेजर (आनरेरी कैप्टेन) बी गीता राव, सेवानिवृत्त

सूबेदार मेजर (आनरेरी लेफ्टीनेंट) नरेश कुमार, सेवानिवृत्त

हवलदार बाबूलाल, सेवानिवृत्त

अनुराग, पी ओ लोजिस्टिक (एफ एंड ए)

हिन्दी अनुवाद

निर्देशक

ब्रिगेडियर रवि (अ0 प्रा0)
निदेशक
निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश

अनुवाद टीम

सूबेदार मेजर (आनरेरी) हरी राम यादव

सूबेदार राजीव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त

श्री फ्रांसिस मैसी, सहायक समीक्षा अधिकारी

श्रीमती शिखा अब्रोल, आशुलिपिक

श्रीमती लालिमा सिंह, अपर निजी सचिव

सुश्री सुचिता पाण्डेय, सहायक लेखाकार

सेवारत/पूर्व सैनिकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल पर आईजीआरएस का प्रावधान

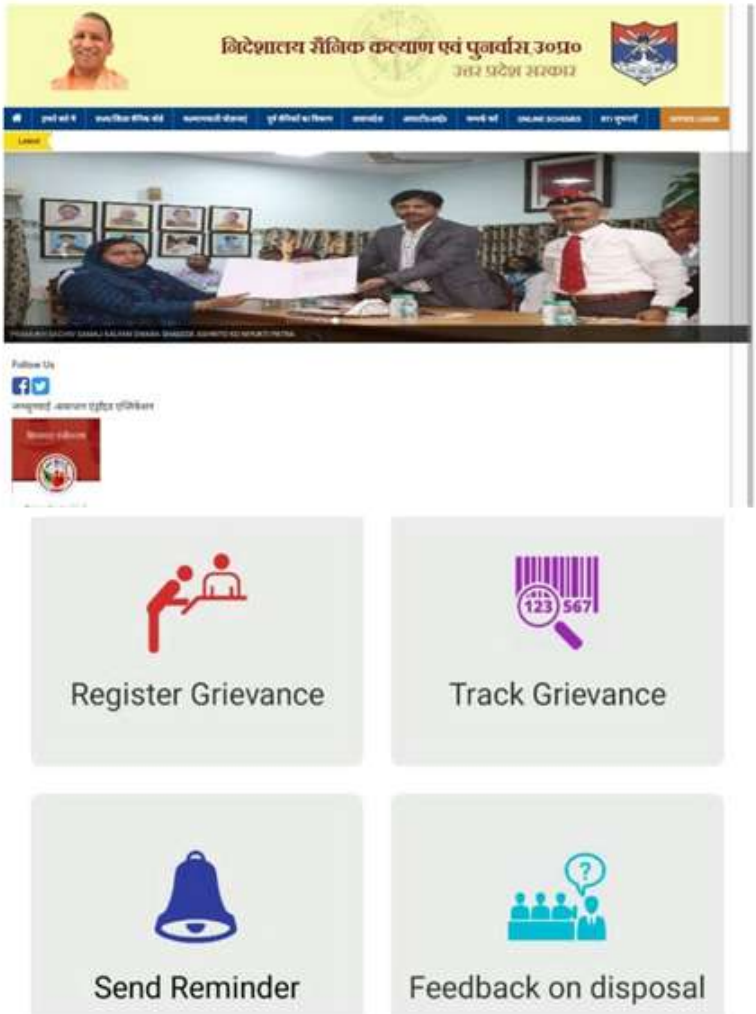

www.skpn.up.gov.in पर कोई भी सेवारत या पूर्व सैनिक किसी दूर दराज इलाके में होने पर भी IGRS जनसुनवाई पोर्टल को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते है और अपनी समस्या अपलोड कर सकते है।

21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

बस्ती

मेरठ

मऊ

मुजफ्फर नगर

बिजनौर

इटावा

अयोध्या

हमीरपुर

रायबरेली

पद्मश्री से सम्मानित पूर्व सैनिक का सफर

मेरठ के 73 वर्षीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक शीश राम प्रजापति एकमात्र सैनिक हैं जिन्हें वर्ष 2022 में कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट योगदान से सैनिकों का नाम रोशन किया है।

पूर्व सैनिक शीश राम प्रजापति की कलाकृतियां

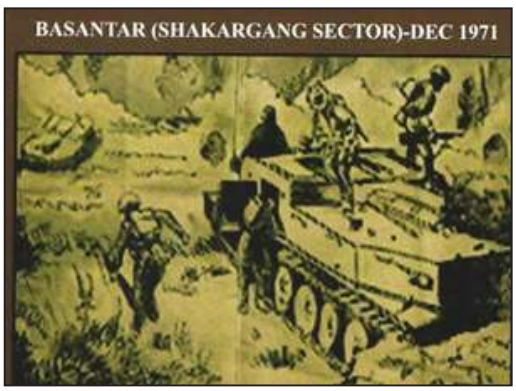

पूर्व सैनिक एवं पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा कृषि के क्षेत्र में परिवर्तनात्मक सफलता

28 फरवरी 2021 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने "मन की बात" में जैसे ही अम्बेडकर नगर के निवासी कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह का नाम लिया उसी समय उनके जानने पहचानने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गयी। हर कोई उनके और उनकी इस फसल के बारे में जानने को उत्सुक हो गया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में किया था।

सन् 2015 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह ने बाराबंकी की हैदरगढ तहसील के विकास खण्ड सिध्दौर के ग्राम अमसेरूवा में चार एकड़ जमीन खरीदी थी, उसमें वह आम खेती से हटकर ड्रैगन फ्रूट, ग्रीन एप्पल, एप्पल बेर, काला गेहूँ और आलू की कई प्रजातियों की खेती करने लगे।

बचपन से ही खेती में विशेष रूचि होने के कारण सेवानिवृत्त होने से पहले से ही अपनी रूचि की दिशा को धार देनी शुरू कर दी और अंततः अपनी मेहनत के बल पर एक अलग पहचान बनायी। जिसका प्रतिफल देश के प्रधानमंत्री के "मन की बात" में सामने आया। कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह एक सैनिक के साथ साथ सफल किसान के रूप में जिस तरह से अपनी मेहनत के बल पर उभरे हैं वह देश के सैनिकों के लिया मिसाल हैं।

सेवानिवृत्त के बाद भी बने रहे सैनिक खिलाड़ी

सूबेदार (ऑनरेरी कैप्टेन) बब्बन राम का जन्म 10 जनवरी 1961 को जनपद गाजीपुर के गाँव रामपुर पोस्ट रेवतीपुर में श्रीमती पितरी देवी और श्री मोती चंद राम के यहाँ हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा प्राइमरी पाठशाला, साधोपुर उर्फ रामपुर तथा आगे की शिक्षा नेहरु विद्यापीठ इंटर कालेज, रेवतीपुर में हुई। इनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सैनिक पृष्ठभूमि का होने के कारण इन्होंने बचपन से ही सेना में जाने का स्वप्न देखा था। 07 फरवरी 1979 को यह भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में भर्ती हो गए और प्रशिक्षण के पश्चात 150 फील्ड रेजिमेंट में तैनात हुए। सेना में सर्विस के दौरान एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतियोगिताओं में कोर और कमांड स्तर तक तोपखाने का प्रतिनिधित्व करते रहे। वर्ष 2009 में सेना की अपनी सर्विस पूरी कर सूबेदार (ऑनरेरी कैप्टेन) को पद से सेवानिवृत्त हो गए।

29 जनवरी से 02 फरवरी 2023 तक पैसफिक मास्टर्स एथलेटिक्स इंडिया – 2023 प्रतियोगिता में सूबेदार (ऑनरेरी कैप्टेन) बब्बन राम ने एक नहीं तीन तीन पदकों को अपने नाम किया था. इन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए आयोजित 100 मीटर और 300 मीटर की बाधा दौड़ प्रतियोगिता में 02 स्वर्ण पदक और भाला फेंक प्रतियोगिता में 01 रजत पदक को अपने नाम किया था। 11 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक वाराणसी में आयोजित 5वीं नेशनल मास्टर्स गेम फेडरेशन में 100 मीटर बाधा दौड़ और भाला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक तथा 30 अप्रैल से 03 मई 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो गेम्स फेडरेशन – 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ और भाला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक और 27 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक वाराणसी में आयोजित तीसरी मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप - 2021 में 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था।

नव निर्माण एवं जीर्णोद्धार

प्रदेश के 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में 51 कार्यालय अपने भवनों में संचालित है। नव निर्माण का कार्य पूर्ण मेरठ, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी एवं बलरामपुर (कुल लागत 1248.59 रु० लाख)

मेरठ

बलरामपुर

कौशाम्बी

मऊ

प्रयागराज

सात जिलों में नव निर्माण कार्य प्रगति पर अमरोहा, अमेठी, औरेया, श्रावस्ती, बदांयू, संत कबीर नगर, शामली। (कुल रू० 2106.34 लागत का कार्य)

भूमि आवंटित (03 जनपद) सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, चन्दौली और नव निर्माण 2023-24 मे शुरू होगा। पिछले चार वर्षो में 10 जनपदों में भूमि आंवटन का कार्य कराया। 09 जनपदों में भूमि का आंवटन का प्रयास जारी है, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, बागपत, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सम्भल, ललितपुर।

''प्रेरणा स्थल'' मिलिट्री स्टेशन, भोपाल में कोर कमाण्डर द्वारा ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह, शौर्य चक्र की मूर्ति का अनावरण

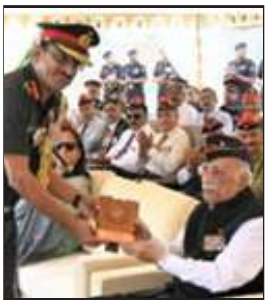

मेजर कमल कालिया, शौर्य चक्र की प्रतिमा का महापौर, लखनऊ द्वारा अनावरण

डीएलएफ मॉल ,गौतमबुद्ध नगर के परिसर में आपरेशन विजय मेमोरियल की प्रतिकृति एवं कैप्टन विजंयत थापर, वीर चक्र का परिवार

स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण महाभियान कार्यक्रम

अयोध्या

औरैया

अम्बेडकर नगर

बदायूं

आजमगढ़

बलिया

इटावा

रायबरेली

एटा

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी द्वारा जनपद कानपुर नगर में आयोजित कार्यक्रम में शहीद सैनिक परिवार का सम्मान

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बुलन्दशहर ने मनाया 99वां स्थापना दिवस

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023
का निदेशालय एवं जनपद स्तर पर आयोजन

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0

मथुरा

मुजफ्फर नगर

सहारनपुर

गोण्डा

पीलीभीत

मेरठ

स्वच्छता पखवाड़ा 01 अक्टूबर, 2023
निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0

स्वच्छता पखवाड़ा 01 अक्टूबर, 2023
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0

गोरखपुर

बस्ती

शाहजहांपुर

कासगंज

मेरठ

रायबरेली

बिजनौर

मऊ

सहारनपुर

77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की प्रेरणा से 'आजादी का अमृत महोत्सव' योजना के अन्तर्गत दिनांक 09 अगस्त, 2023 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य आयोजित 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को मध्य कमान, लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा वीर नारियों को सम्मान

लखनऊ

प्रयागराज

गोरखपुर

कन्नौज

बिजनौर

चित्रकूट

निदेशक की कलम से

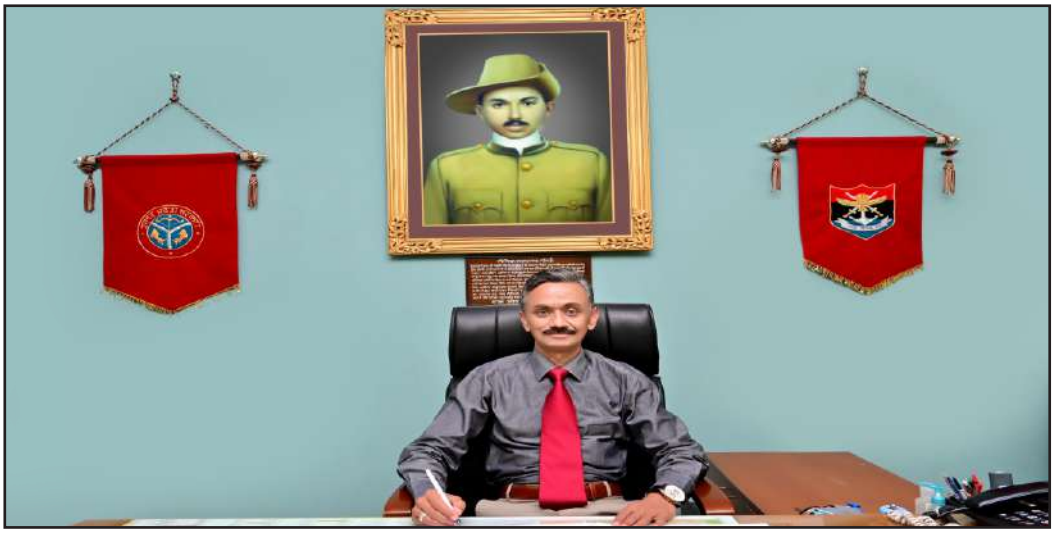

'सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तर प्रदेश' लखनऊ में स्थित अपने निदेशालय तथा जनपद मुख्यालयों में स्थित 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सेवारत सैनिकों के परिवारों, पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों तक पहुँचाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

हमारे देश के उच्चतम आदर्शो के लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की वीरता,निःस्वार्थ सेवा और बलिदान को मैं नमन करता हूँ। जो अपने जीवन की परवाह किये बिना कठिन परिस्थितियों और दुर्गम स्थानों पर रहकर राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखण्डता को सुनिश्चित् करने के लिए हमारे सैनिक अपने प्राणों तक का बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शौर्य, पराक्रम एवं बहादुरी का परिचय देने के लिए उत्तर प्रदेश के शूरवीरों को 01 विक्टोरिया क्रास, 04 परमवीर चक्र, 06 अशोक चक्र तथा 1824 अन्य वीरता और विशिष्ट पदकों से सम्मा़नित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 के निवासी 46 शहीद सैनिक के आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गई एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों की रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की गयी । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहीद सैनिक के परिवार को रू0 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें अभी तक 128 शहीद सैनिक परिवारों को अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जा चुका है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान में माननीय श्री राज्यपाल द्वारा बढ़ोत्तरी की गई है।

पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु आम जनता से योगदान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को **सशस्त्र सेना झण्डा दिवस** मनाया जाता है। इस दिवस हेतु सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि की स्थापना की गई है। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण संकलित कर स्मारिका पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

इस पुस्तिका में विभिन्न सुविधाओं के विवरण का संकलन यद्यपि तत्सम्बन्धी नियमों/शासनादेशों के आधार पर यथासंभव शुद्धता से करने का प्रयास किया गया है, परन्तु इसे अधिकृत रूप से उदधृत नहीं किया जाना चाहिए और जहाँ कहीं उक्त नियमों के आधार पर कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा निर्णय लिया जाना हो वहाँ मूल शासनादेशों/नियमों का संदर्भ लिया जाना चाहिये। आशा है कि यह संस्करण पूर्व सैनिकों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगी। इसे और अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार हेतु सुझावों का स्वागत है।

निदेशक

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

राज भवन
लखनऊ - 226 027
31 जुलाई, 2023

सन्देश

'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' के अवसर पर मैं सैनिकों, उनके परिजनों, वीर नारियों और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।

हमारी सेनाएं वीरता और अदम्य साहस का प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। यह प्रतिष्ठा उन्हें अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर मिली है। चाहे जिस तरह की भी परिस्थितियां रही हों, हमारी सेनाएं सदैव देवदूत बनकर खड़ी रही हैं। हमारी सेना अपने आदर्श वाक्य 'सर्विस बिफोर सेल्फ' पर सदैव खरी उतरी है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और उनकी तथा उनके परिवारजनों की हर सम्भव सहायता करना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' हमें सशस्त्र सेनाओं की वीरता और बलिदान को याद करने तथा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने व उनके आश्रितों के कल्याणार्थ सहयोग करने का अवसर प्रदान करता है।

सैनिक तथा उनके परिवार देश की धरोहर हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याणार्थ दान के लिए अपील करती हूँ।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित की जाने वाली स्मारिका के लिये मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।

आनंदीबेन

(आनंदीबेन पटेल)

दूरभाष : 0522-2236497 फैक्स : 0522-2239488 ईमेल : hgovup@gov.in वेबसाइट : www.upgovernor.gov.in

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लोक भवन,
लखनऊ - 226001

दिनांक : 10 AUG 2023

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर 'स्मारिका' का प्रकाशन किया जा रहा है। 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' के इस पावन अवसर पर मैं प्रदेश के सभी सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

भारतीय सेना का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। हमारे सैनिकों ने युद्धकाल और शांति काल दोनों में देश की रक्षा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने जीवन की परवाह किये बिना कठिन से कठिन परिस्थितियों तथा दुर्गम स्थानों पर रहकर देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा की है।

देश की एकता और सम्प्रभुता की रक्षा में उत्तर प्रदेश के सैनिकों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात लड़े गए युद्धों में हमारे प्रदेश के वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर 01 विक्टोरिया क्रॉस, 04 परमवीर चक्र, 19 महावीर चक्र, 92 वीर चक्र तथा 1577 अन्य वीरता एवं विशिष्ट पदक प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। शान्तिकाल में भी हमारे प्रदेश के वीरों ने देश की एकता और अखण्डता की रक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। शांतिकाल में हमारे प्रदेश को वीरों के शौर्य और पराक्रम के लिए 06 अशोक चक्र, 23 कीर्ति चक्र तथा 114 शौर्य चक्र प्रदान किये गए हैं।

प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण और सेवायोजन के लिये प्रतिबद्ध है। सेवानिवृत्त सैनिकों को सरकारी नौकरियों के समूह 'ख' तथा 'ग' में 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा परिवार के एक सदस्य को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह 'ग' एवं 'घ' में सेवायोजन किया जा रहा है। प्रदेश के 46 वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिजनों को अब तक सेवायोजित किया जा चुका है।

प्रदेश सरकार सैनिकों के उत्थान और कल्याण के लिये सतत प्रयत्नशील है। राज्य सरकार द्वारा वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान एवं स्मृति में उनके नाम पर सड़कों, पार्कों, पुलों, स्कूलों और अमृत सरोवरों का नामकरण किया जा रहा है। वीरगति प्राप्त सैनिकों की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगायी जा रही हैं, जिससे आने वाली पीढियां इनके शौर्य से प्रेरणा ले सकें। सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रतिमाह सैनिक बंधु की बैठक का आयोजन किया जाता है। ऐसा आयोजन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है।

प्रदेशवासियों से मेरा अनुरोध है कि 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' के सुअवसर पर सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें।

(योगी आदित्यनाथ)

दूरभाष : 0522-2289017 / 2289010 / 2289167 फैक्स - 0522-2239234 ईमेल - cmup@nic.in

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव
Durga Shanker Mishra
Chief Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
लोक भवन, लखनऊ - 226001
Government of Uttar Pradesh
Lok Bhawan, Lucknow-226001

दिनांक : 28 जुलाई, 2023

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को **'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस'** मनाया जा रहा है।

2. सेना देश का एक ऐसा अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ संगठन है, जो अपनी वीरता, कर्तव्यपरायणता, साहस और बलिदान से देश की आन–बान की रक्षा करता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सेना उनको अपने साहस के बल पर सदा अपने अनुकूल बना लेती हैं। हमारे देश के सैनिकों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और वीरता के बल पर हमेशा प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

3. सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के पावन अवसर पर सभी सेवारत, सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवारों और वीरता पदक विजेताओं का अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही उन वीर जवानों, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर, सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण देते हुये देश तथा प्रदेश को गौरवान्वित किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। देश की रक्षा के लिये सर्वस्व बलिदान करने वाले मां भारती के सपूतों का सम्पूर्ण राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा।

4. इस पावन अवसर पर मैं सभी सैनिकों तथा उनके परिवारों को 'झण्डा दिवस' की हार्दिक बधाई व शुभकामनायें देते हुये मैं हर नागरिक से अपील करता हूँ कि 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' कोष में स्वेच्छा से उदारतापूर्वक योगदान करें। आपका सहयोग वीर सैनिकों के कल्याण में उपयोग होता है।

(दुर्गा शंकर मिश्र)

Office Address : Room No. 101 'B' Wing, Lok Bhawan, U.P. Secretariat, Lucknow-226001
Tel.: 0522-2289212, 2289296; Fax: 0522-2239283; Resi.: 0522-2239461, 2237299; Email: csup@nic.in
Website: https://up.gov.in/

डॉ0 हरिओम,
I.A.S.
प्रमुख सचिव

अर्द्ध0शा0प0सं0-
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।
बापू भवन, पंचम तल, फेस-॥
कक्ष संख्या - 532 501
का0 दूरभाष संख्या - 0522-2237163,
0522-2214778 2238674
दिनांक - 27-07-2023

संदेश

मैं सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 2023 के अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से देश की सेना के उन सभी बहादुर सैनिकों एवं उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने देश की रक्षा, एकता एवं अखण्डता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ''स्मारिका'' के लिये सम्पादकीय मण्डल को भी हार्दिक बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ''स्मारिका'' सैनिकों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं आश्वस्त हूँ कि ''स्मारिका'' में प्रकाशित सामग्री जनोपयोगी होगी।

देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाली हमारी तीनों सेनाएं विश्व में अद्वितीय हैं। सीमाओं की वाह्य सुरक्षा के साथ–साथ देश की आन्तरिक सुरक्षा में भी इनकी भूमिका प्रशंसनीय है। प्रदेश में भी कई बार दैवीय आपदा के समय हमारे सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

मैं सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेश वासियों का आहवान करता हूँ कि वे अपने सैनिकों के प्रति आदर, सम्मान एवं अपनत्व की भावना प्रदर्शित करते हुए उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग कर सैनिकों के कल्याणार्थ अपना योगदान दें।

'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' के अवसर पर सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

(डा0 हरिओम)

लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमनी, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम
जनरल ऑफिसर कमान्डिंग–इन–चीफ
कर्नल ऑफ दी गढ़वाल राईफल्स एवं गढ़वाल स्काउट्स
Lt Gen NS Raja Subramani, AVSM, SM, VSM
General Officer Commanding-in-Chief
Colonel of the Garhwal Rifles & Garhwal Scouts
☎ : 0522 - 2480004
Mil : 2601

मुख्यालय मध्य कमान
पिन - 908544
द्वारा 56 एपीओ

Headquarters
Central Command
PIN - 908544
c/o 56 APO

सन्देश

मैं "सशस्त्र सेना झण्डा दिवस २०२३" के शुभ अवसर पर सभी सेवारत सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ तथा निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित की जा रही "स्मारिका" के प्रकाशन के लिए बधाई देता हूँ।

हमारी सशस्त्र सेनाओं का युद्ध और शांति काल दोनों में वीरता, साहस और बलिदान का लंबा इतिहास रहा है। सैनिकों द्वारा मातृभूमि की निःस्वार्थ सेवा ने सदैव देश को गौरवान्वित किया है। चाहे देश की बाह्य सीमाओं की सुरक्षा हो या आन्तरिक सुरक्षा, दैवीय आपदा हो या दूसरे देशों में शांति मिशन, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने सदैव आगे बढ़कर अपने जीवन की परवाह किये बिना, कर्तव्य परायणता तथा व्यवसायिक दक्षता का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। ये दिन हमें सशस्त्र सेनाओं की कर्तव्यनिष्ठा और उनके पराक्रम के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों, आश्रितों, दिव्यांग सैनिकों, सेवा निवृत्त सैनिकों, वीरांगनाओं की देखभाल करने के लिए मदद सुनिश्चित करता है और उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मैं इस अवसर पर प्रदेश वासियों से अनुरोध करता हूँ कि पूरे उत्साह से सेवारत/सेवा निवृत्त सैनिको, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों तथा वीर नारियों के प्रति स्नेह एवं आदर प्रदर्शित करते हुए अधिक से अधिक योगदान दें।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस २०२३ के पुनीत अवसर पर मेरी सौहार्दपूर्ण शुभकामनाएँ।

राजा सुब्रमनी

(एन० एस० राजा सुब्रमनी)
लेफ्टिनेंट जनरल
जनरल आफीसर कमान्डिंग-इन-चीफ
मध्य कमान, लखनऊ

स्टेशन : लखनऊ

दिनांक : १५ अगस्त २०२३

एयर मार्शल आर जी के कपूर अ वि से मे वा मे
वायु अफसर कमांडिंग-इन-चीफ
Air Marshal RGK Kapoor AVSM VM
Air Officer Commanding-in-Chief

Tele : 0532-2580021
Fax : 0532-2580021
AFNET : 2911-7200

मुख्यालय मध्य वायु कमान भा.वा.से
HQ Central Air Command IAF
बमरौली / Bamrauli
प्रयागराज / Prayagraj-211012

सन्देश

1. यह मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 07 दिसंबर 23 को "सशस्त्र सेना झण्डा दिवस" मनाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सुअवसर पर मैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत, सेवानिवृत्त जवानों एवं उनके परिवारजनों तथा शहीद जवानों के आश्रितों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ ही पत्रिका "स्मारिका" के प्रकाशन के लिए बधाई देता हूँ।

2. शांतिकाल की घड़ी हो अथवा युद्धकाल की, दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने सदैव ही अपनी उत्कृष्ट राष्ट्रसेवा, कर्तव्यपरायणता एवं निष्ठा का परिचय दिया है। इस सुअवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि सैनिकों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु चलाई जा रही योजनाओं में स्वेक्षापूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें।

3. मैं "उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय" द्वारा सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण हेतु किये जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करता हूँ एवं हमारे सभी सैनिकों व उनके परिवारजनों के सफल जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।

आर कपूर

(आर जी के कपूर)
एयर मार्शल
एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ
मध्य वायु कमान, भारतीय वायु सेना

ब्रिगेडियर रवि (अ0प्रा0)
निदेशक

Brigadier Ravi (Retd)
Director

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ०प्र०
करियप्पा भवन, कैसरबाग, लखनऊ–226001
दूरभाष : 0522-2625354, 0522-2623909
Dte Sainik Kalyan Evam Punarvas, UP
Cariappa Bhawan, Kaiserbagh,
Lucknow-226001
Phone/Fax: 0522-2625354, 0522-2623909
Email: dirskpnlu-up@nic.in

25 Oct 2023

संदेश

दिनांक 07 दिसम्बर 2023 को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सशस्त्र सेवारत, पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारियों और उनके आश्रितों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ।

"सशस्त्र सेना झण्डा दिवस" एक ऐसा राष्ट्रीय महत्व का अवसर है जब समस्त भारतवासी अपने देश के वीर सैनिकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। देश की सीमाओं की शत्रुओं से रक्षा करने के लिये सुदूर सीमाओं पर सन्नद्ध हमारे सैनिक जिस परम वीरता और शौर्य से देश की रक्षा कर रहें हैं उसके लिये हर भारतवासी को उन पर गर्व है। उनकी देश–भक्ति अनन्य है। हमारा पूरा देश सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के परिवारजनों का भी ऋणी है–उनका साहस और धैर्य हम सभी के लिए एक उदाहरण है। शौर्य, पराक्रम एवं बहादुरी का परिचय देने के लिए उत्तर प्रदेश के शूरवीरों को 01 विक्टोरिया क्रास, 04 परमवीर चक्र, 06 अशोक चक्र तथा 1824 अन्य वीरता और विशिष्ट पदकों से सम्मानित किया जा चुका है।

प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के प्रति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 127 शहीद हुये सैनिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है, साथ ही 01 अप्रैल 2017 से उ0प्र0 के निवासी 46 शहीद सैनिक के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति तथा सैनिकों के कल्याण के लिये नये प्राविधानों, नवीन तकनीकी से संबंधित सूचनाओं, योजना अथवा अनुदान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को इस विशाल प्रदेश के दुर्गम स्थानों में निवास करने वाले सैनिकों अथवा सैनिक परिवारों तक पहुँचाने में सैनिक कल्याण विभाग, सैनिक पुनर्वास निधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

यह दिन, कृतज्ञ राष्ट्रगौरव के साथ हमारी सेनाओं के सर्वोच्च बलिदान और साहस को स्मरण करता है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अनुकरणीय देशभक्ति का प्रदर्शन किया है तथा सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद के सम्मुख असाधारण बलिदान दिए हैं और इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र का प्रेम और सम्मान अर्जित किया है। मैं सभी प्रदेश वासियों से आवाहन करता हूँ कि हम अपने बहादुर सशस्त्र सेना कार्मिकों को विश्वास दिलाएं कि संपूर्ण राष्ट्र सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि में उदारतापूर्वक अंशदान करके और सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की सफलता की मंगल कामना करता हूँ।

(ब्रिगेडियर रवि)
निदेशक

A VISION STATEMENT FOR SAINIK WELFARE

By Brigadier Ravi

1. The citizen and client charter by DESW states the following vision & mission statement for ex-service men welfare.

Citizens'/Clients' Charter:

(a) Vision: Well-being of the retired armed forces personnel/their dependents and sensitize general public about their potential and the positive role played by ex-servicemen in nation building.

(b) Mission: Formulation of policies and schemes for the welfare of ex-servicemen/ dependents. Timely redressal of pension grievances, ensuring quality health care, resettlement and rehabilitation of ex-servicemen/dependents and promoting activities that depict the positive role played by ex-servicemen in society.

2. Article 18 of the constitution provides a distinction to a soldier of armed forces from the common populace. Does this constitutional distinction translate appropriately to provide the due honour and respect at all levels is a question to ponder upon.

3. Article 34 of the constitution lays down certain restrictions to the freedom provided to a soldier of armed forces vis a vis a common citizen enjoys as per the preamble.

4. An ex-servicemen is a national asset and distinctly different from a common citizen by the way of his discipline and leadership imbibed during the service. The greatest distinction it deserves at all times is honour and respect besides the various welfare aspects instituted from time to time.

5. Historically too, the Indian armed forces has proved its worth in the service of its Nation pre and post independence.

6. With the advent of technology, transformation in future warfare, geopolitics and growing adversarial threats to our country the relevance of a soldier in times to come will remain relevant.

7. The importance of ex-servicemen welfare was recognized post the first world war itself when the soldier sailor & airmen welfare board was created in 1919. The legacy continues todate with various transformations keeping up with changing needs of ex-servicemen welfare.

8. As on date the ex-servicemen or sainik welfare is a subject of central govt and state govt with responsibilities overlapped in the federal structure.

9. The growing exservicemen population, veer naries and disabled soldiers in the country demands a distinct dividing responsibility for central govt and state govt towards ex-servicemen (sainik) welfare and rehabilitation by an act of parliament and giving a vision statement for the soldier of 21st century.

10. Ex-servicemen is a status enshrined upon a soldier of armed of forces by the his/her services rendered for the safety and security of the nation. This special status is not given to any other force like paramilitary or police. Therefore, exservicemen deserves a special place of honour and respect in its society by way of acts of parliament and a vision statement.

11. A few suggested steps on this direction can be:

    (a) Map the ex-servicemen in the country by way of a central commission and create a authentic digital data base available to both centre and state.

    (b) A concerted central effort to make complete ex-servicemen welfare and rehabilitation online.

(a) Never to forget those who gave their lives. A provision for honouring and remembering the brave hearts uniformly at national level.

(b) A provision to recall and remember the gallant acts on national occasion uniformly for future generations to emulate

(c) Enacting a 'honour code' for ex-servicemen to keep them away from unbefitting measures.

12. Sustained honour and respect to the soldier is the ultimate way forward to retain the honour and glory of our nation in 21st century by a vision statement 2099 for soldiers welfare by an act of parliament.

उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण के स्तंभ

ARMED FORCES FLAG DAY
DECEMBER 07

Since the year 1949, the Armed Forces Flag Day is observed on 7 December, throughout the country, to honour the martyrs and the men in uniform, who bravely fight on our borders to safe guard its territorial integrity. "It is the cause and not merely death that makes the martyrs" once said Napoleon Bonaparte. There cannot be a more noble cause than laying down one's life for the country. At the same time, our admiration for the martyrs should not mean that we have little concern for their widows and children whom they have left behind or the living heroes who were wounded while doing their duty towards their motherland.

Contributions to AFFD Fund: Any Citizen or Public/Private undertaking can contribute to "Armed Forces Flag Day Fund" throughout the year.

Mode of Contribution: By Cheque/Demand draft drawn in favour of " Director Sainik Kalyan Jhanda Diwas Nidhi" to be sent to Director, Directorate Sainik Kalyan Evam Punarvas,Carrippa Bhawan,PadamSri Mona Chandrawati Marg, Kaiserbagh Lucknow-226001 / Online through NEFT,UPI details are as under :-

Account Name	:	Director Sainik Kalyan Jhanda Diwas Nidhi
Name of Bank	:	Indian Overseas Bank, Branch: NARI SHIKSHA NIKETAN , Kaiserbagh Lucknow
Account Number	:	146801000014094
IFSC Code	:	IOBA0001468
Contact Details & Email	:	0522-2623909, 2611150, dirskpnlu-up@nic.in
Pay Online through our website	:	skpn.up.gov.in
BY UPI Scan	:	

Note:
Contributions to Armed Forces Flag Day Fund are exempted from Income Tax vide Government of India Notification No. 78/2007 dated 26 Mar 07 and under section 80 G (5) (vi) of Income Tax Act 1961 vide Director of Income Tax (E) letter No. NQ.DIT (E) | 2010-11/DEL-AE22280-04012011/2186 dated 04 Jan 11.

आर्मी, कमाण्डर इन चीफ जनरल के. एम. करियप्पा
आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल

उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं की संख्या

परमवीर चक्र–4	अशोक चक्र–6
महावीर चक्र–19	कीर्ति चक्र–23
वीर चक्र–92	शौर्य चक्र–114
सेना मेडल (वीरता)–615	परम विशिष्ट सेवा मेडल–91
मेन्शन–इन–डिस्पैच–138	अति विशिष्ट सेवा मेडल–152
उत्तम युद्ध सेवा मेडल–11	सेना मेडल (विशिष्ट)–64
युद्ध सेवा मेडल–56	विशिष्ट सेवा मेडल–450

कुल पदक विजेता – 1835

सम्पादक मंडल

संरक्षक :
ब्रिगेडियर रवि, अ0प्रा0
निदेशक

उप संरक्षक :
कर्नल शैलेन्द्र उत्तम, अ0प्रा0
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

विंग कमाण्डर जितेन्द्र कुमार चौहान, अ0प्रा0
अतिरिक्त निदेशक (पुनर्वास)

संपादकीय समिति :
ले0 कर्नल बलराम तिवारी, अ0प्रा0
अतिरिक्त निदेशक (कल्याण)

कैप्टन अतुल्य दयाल (आई.एन.), अ0प्रा0
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, रायबरेली

सूबेदार मेजर (ऑनरेरी) हरी राम यादव, अ0प्रा0

श्री मुकेश बाघिया
सहायक समीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि

श्रीमती रेखा राय, वैयक्तिक सहायक, निदेशालय सैनिक कल्याण, उ0प्र0
श्रीमती शिखा अब्रोल, आशुलिपिक, निदेशालय सैनिक कल्याण, उ0प्र0
श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, वरिष्ठ सहायक, निदेशालय सैनिक कल्याण, उ0प्र0
श्री समीर कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय सैनिक कल्याण, उ0प्र0
श्रीमती नीरू कपूर, वरिष्ठ सहायक, निदेशालय सैनिक कल्याण, उ0प्र0
श्री विनोद कुमार सेन, वरिष्ठ सहायक, निदेशालय सैनिक कल्याण, उ0प्र0

विषय सूची

विषय सूची		
क्रम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग में प्रचलित बेस्ट प्रेक्टिसेज	01–02
2	विभाग द्वारा सैनिको/शहीद सैनिकों की वीर नारियों/आश्रितों एवं पदक विजेताओं के कल्याणार्थ किये गये विगत 05 वर्षो के कार्यो का लेखा–जोखा	03–12
3	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधायें	14–17
4	उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि लखनऊ द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं सहायता	18–19
5	उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा पूर्व सैनिकों के पुनर्योजन में सहायता	20
6.	उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान संबंधी जानकारी	21
7	शासनादेश–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय अनुग्रह अनुदान सम्बन्धी	23–24
8	शासनादेश–वर्ष 1986 के पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान सम्बन्धी वार्षिकी का भुगतान	25–26
9.	शासनादेश–वर्ष 1986 के बाद वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान सम्बन्धी	27–28
10.	शासनादेश–अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान	29–31
11.	शासनादेश–शहीदों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी	32–36
12	शासनादेश–नौकरियों में आरक्षण संबंधी	37–40
13.	शासनादेश–स्टाम्प ड्यूटी में छूट संबंधी	41–43
14.	शासनादेश–उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित भवनों में आरक्षण संबंधी	44
15.	शासनादेश–शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण संबंधी	45
16.	सार्वजनिक वितण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन में आरक्षण संबंधी	46
17.	शासनादेश–गृहकर में छूट सम्बन्धी	47

18.	शासनादेश–उ0प्र0 परिवहन द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा	48–49
19.	सवेरा योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ पूर्व सैनिकों का आरक्षण	50–51
20.	शहीदों का सम्मान	52
21.	शहीद स्मारक का निर्माण	53–56
22.	शासनादेश– जिला सैनिक बन्धु बैठक सम्बन्धी	57
23.	भारत सरकार (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड) द्वारा देय सुविधायें	58
24.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की सूची	60–68
25.	पंजीकृत पूर्व सैनिक/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की गणना	69–71

उपलब्धियाँ

उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग में प्रचलित बेस्ट प्रैक्टिसेज (सर्वोत्तम अभ्यास)

1. शहीद आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिक की अन्त्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाती है तथा अन्त्येष्टि के समय ही 50 लाख रूपये की अनुग्रह राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 128 पात्रों को रू0 47 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

2. शहीद सैनिक आश्रितों का सेवायोजन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में किया जाता है। जिसमें 01 अप्रैल 2017 से अब तक 46 शहीद आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त 75 जनपद में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थापित हैं जो देश के किसी अन्य राज्य में नहीं हैं।

4. उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु चार स्तम्भ है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान द्वारा भी अनुग्रह राशि शहीद एवं विकलांग सैनिकों को प्रदान किया जाता है जबकि यह व्यवस्था अन्य राज्य में नहीं है।

5. पूर्व सैनिकों, आश्रितों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **'जिला सैनिक बन्धु'** की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाती है।

6. पूर्व सैनिकों/आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह (रैली) का आयोजन।

7. वीरता और विशिष्ट पदकों से सम्मानित पदक विजेताओं को एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान किये जाने के साथ ही वर्ष 1986 से पूर्व वीर चक्र **व सेना मेडल व मेन्शन–इन–डिस्पैच के पदक विजेताओं** को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि का पुनः भुगतान।

8. पैराप्लाजिक सेन्टर किरकी एवं मोहाली में 100 प्रतिशत विकलांग कुल 09 सैनिकों की सेवा सुश्रुषा एवं औषधि के लिए राज्य सरकार द्वारा रू0 1.50 लाख प्रति पात्र की दर से आर्थिक सहायता।

9. प्रदेश के पूर्व सैनिक आश्रितों को कम्प्यूटर टैली, फैशन डिजायनिंग, इनफारमेशन टेक्नोलाजी एवं एस0एस0बी0 कोचिंग हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण।

10. निदेशालय स्तर से चार विभागीय योजनाओं यथा–पूर्व सैनिकों/आश्रितों का पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, वीरता पुरस्कार विजेताओं को पदक राशि का भुगतान एवं जिला/दातव्य निधि से आर्थिक सहायता को ऑनलाइन किया गया ।

11. वर्ष के सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर सैनिकों के सम्मान के लिये कार्यक्रमों का आयोजन यथा–सशस्त्र सेना झण्डा, विजय दिवस, वेटरेन्स डे, कारगिल विजय दिवस, वृक्षारोपण दिवस, योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, एकता दिवस, 15 अगस्त एवं 26 जनवरी प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में आयोजित किया जाता है ।

12. निदेशालय एवं जनपद में नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय संबंधित महत्वपूर्ण विषयों एवं सूचनाओं पर चर्चा करने हेतु प्रत्येक माह में दो बार वेबीनार का आयोजन किया जाता है, जहाँ एक ही प्लेटफार्म पर एकत्रित होकर निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है।

विभाग द्वारा सैनिकों/शहीद सैनिकों की वीर नारियों/आश्रितों एवं पदक विजेताओं के कल्याणार्थ किये गये विगत 05 वर्षों के कार्यों का लेखा–जोखा

1. **अधिकारियों की नियुक्तिः**– गत 05 वर्षो में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों की नियुक्ति का विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	नियुक्त हुए अधिकारी	कार्यभार ग्रहण किया गया
2020	41	17
2021	50	38
2022	37	28
कुल	**128**	**83**

2. **शहीद सैनिकों के आश्रितों को शासकीय सेवा में सेवायोजनः**–. वर्ष–2019 से वर्ष 2023 तक 46 शहीद सैनिकों के आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में समूह–ग एवं समूह–घ के पदों में सेवायोजित किया गया है।

वर्ष	पात्र
2019	6
2020	11
2021	9
2022	20
2023	12 प्रस्तावित एवं प्रचलित
कुल	**58**

3. **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा देय अनुग्रह अनुदानः**— उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सैनिक के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इस श्रृंखला में 128 पात्रों को कुल रू0 47.85 करोड़ की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई ।

वर्ष	पात्र
2019	10
2020	19
2021	30
2022	45
2023	24
कुल	**128**

4. **उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्मड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा देय अनुदानः**— सशस्त्र सैन्य बल के वीरगति प्राप्त सैनिक को रूपये 10 लाख, स्थायी रूप से अपंगता की स्थिति में रूपये 07 लाख तथा पुत्रियों के विवाह हेतु रूपये 2.50 लाख अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया जाता है। अभी तक कुल 69 लाभार्थियों को कुल रू0 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

वर्ष	पात्र
2019	11
2020	7
2021	19
2022	19
2023	13
कुल	**69**

5. **वीरता और विशिष्ट पदकों से सम्मानित पदक विजेताओं को एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतानः**— वर्ष 1986 से पूर्व वीर चक्र व सेना मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं एवं वर्ष 1986 के पश्चात वीर चक्र श्रृंखला, सेना मेडल श्रृंखला एवं विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एक मुश्त धनराशि एवं वार्षिकी का भुगतान किया जाता है ।

श्रृंखला का नाम	2019–20		2020–21		2021–22		2022–23		2023–24	
	पात्र	धनराशि रू0 लाख में	पात्र	धनराशि रू0 लाख में	पात्र	धनराशि रू0 लाख में	पात्र	धनराशि रू0 लाख में	पात्र	धनराशि रू0 लाख में
वीर चक्र श्रृंखला	36	56.08	30	34.03	40	59.64	34	360.49	22	29.97
सेना मेडल श्रृंखला	671	44.64	653	97.34	640	137.62	794	223.88	752	134.96
विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला	454	37.90	454	45.05	476	95.93	564	112.11	552	61.19
कुल	**1161**	**138.62**	**1137**	**176.42**	**1156**	**293.19**	**1393**	**696.58**	**1326**	**226.12**

6. वर्ष 2022–23 में अशोक चक्र–3 कीर्ति चक्र–20 एवं शौर्य चक्र–106 से अलंकृत उ0प्र0 के सैन्य अधिकारियों/सैनिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि प्रदान की गई हैं एवं सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा मेजर जनरल रितेश भल्ला, शौर्य चक्र' को वित्तीय वर्ष 2023–24 में बार टू शौर्य चक्र की एक मुश्त व वार्षिकी का एरियर सहित भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान :–

वर्ष	पात्रों की संख्या	धनराशि रू0 लाख में
2019	2716	2100.87
2020	2197	1581.84
2021	2025	1444.83
2022	1704	1157.85
2023	1444	519.84
कुल	**10086**	**6805.23**

8. उत्तर प्रदेश में कारगिल युद्ध के शहीदों के माता–पिता एवं वीर नारियों को पेंशनः–

वर्ष	पात्रों की संख्या	धनराशि रू0 लाख में
2019	95	69.00
2020	92	51.04
2021	85	30.35
2022	83	31.20
2023	80	30.15
कुल	**435**	**211.74**

9. पैराप्लाजिक सेन्टर किरकी एवं मोहाली में 100 प्रतिशत विकलांग सैनिकों को अनुदानः–

वर्ष	पात्रों की संख्या	धनराशि रू0 लाख में
2019	8	8.00
2020	8	8.00
2021	8	8.00
2022	9	18.00
2023	9	13.50
कुल	**42**	**55.5**

10. **पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण हेतु ज़िला सैनिक बन्धु' की बैठकः**— उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समस्त 75 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला सैनिक बन्धु की बैठक का आयोजन किया जाता हैं। प्रदेश की इस अनूठी पहल को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की 31वीं बैठक में एक मिसाल के तौर पर सराहना की।

वर्ष	जनपद
2019	26
2020	34
2021	62
2022	71
2023	75

11. **पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह (रैली)**:— पूर्व सैनिकों/आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत एवं लाभान्वित कराने के उद्देश्य से जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह (रैली) का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है।

वर्ष	जनपद
2019	5
2020	7
2021	7
2022	16
2023	**15 जनपदों में प्रस्तावित**

12. **प्रशिक्षणः**— प्रदेश के पूर्व सैनिकों के आश्रितों को कम्प्यूटर टैली, फैशन डिजायनिंग, इनफारमेशन टेक्नोलाजी एवं एस0एस0बी0 कोचिंग हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

वर्ष	पात्र	धनराशि रू0 लाख में
2019	166	13.41
2020	575	53.50
2021	575	53.50
2022	639	58.99

13. **नवनिर्माण कार्यालय** :– प्रदेश के 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में 51 कार्यालय अपने भवनों में संचालित है। शेष 24 जनपदों से संबंधित प्रगति निम्नवत् हैः

- नव निर्माण का कार्य पूर्ण (05 जनपद): मेरठ, मऊ, प्रयागराज,कौशाम्बी एवं बलरामपुर।

- भूमि आंवटन एवं नव निर्माण कार्य प्रगति पर (07 जनपद): अमरोहा, अमेठी, औरेया, श्रावस्ती, बदांयू, संत कबीर नगर, शामली।

- भूमि आवंटित (04 जनपद): सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, चन्दौली, अम्बेडकरनगर।

- भूमि आंवटन हेतु प्रयासरत (09 जनपद): गौतमबुद्धनगर, हापुड़, हाथरस, कन्नौज, बागपत, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सम्भल, ललितपुर।

वित्तीय वर्ष	जनपद कार्यालय	स्वीकृत धनराशि
2019–20	मऊ, कौशाम्बी, प्रयागराज, मेरठ और बलरामपुर	रू0 550.00 लाख
2020–21	प्रयागराज	रू0 27.21 लाख
2021–22	श्रावस्ती, बदायूं, औरेया, चित्रकूट, बलरामपुर, हमीरपुर एवं बांदा	रू0 367.24 लाख
	आजमगढ़ एवं शामली	रू0 182.76 लाख
2022–23	गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, अमेठी, सोनभद्र, जालौन, बस्ती, अमरोहा एवं संतकबीर नगर	रू0 1000.00 लाख
	नोट–द्वितीय किश्त में श्रावस्ती, आजमगढ़ और बदांयू, बलरामपुर	
2023–24	द्वितीय किश्त– गोरखपुर , मुरादाबाद, अमेठी, अमरोहा एवं संतकबीर नगर, औरेया शामली	रू0 1580.00 लाख प्रस्तावित
	नोट–तृतीय किश्त में श्रावस्ती, बदांयू,	

14. **जीर्णोद्धार एवं मरम्मत :–**

वित्तीय वर्ष	जनपद कार्यालय	स्वीकृत धनराशि
2020–21	बहराइच, बांदा, हमीरपुर, जालौन, बस्ती, महाराजगंज, आगरा एवं बलिया	रू0 302.71 लाख
2021–22	अलीगढ़, बांदा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर एवं उन्नाव	रू0 277.84 लाख
2022–23	आजमगढ़, गाजियाबाद, हरदोई, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर एवं शाहजहांपुर	रू0 232.87 लाख
2023–24	गोरखपुर, मथुरा, उन्नाव, सहारनपुर एवं शाहजहांपुर	रू0 215.00 लाख प्रस्तावित

15. **वृहद् निर्माण :–**

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि
2019–20	रू0 550.00 लाख
2020–21	रू0 550.00 लाख
2021–22	रू0 550.00 लाख
2022–23	रू0 1000.00 लाख
2023–24	रू0 1530.00 लाख
कुल	**रू0 4180.00 लाख**

16. **लघु निर्माण :–**

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि
2019–20	रू0 30.00 लाख
2020–21	रू0 30.00 लाख
2021–22	रू0 30.00 लाख
2022–23	रू0 50.00 लाख
2023–24	रू0 50.00 लाख
कुल	**रू0 190.00 लाख**

17. विभागीय बजट :–

वित्तीय वर्ष	राजस्व लेखा रू0 लाख में	पूँजी लेखा रू0 लाख में	कुल बजट लाख में रू0
2019–20	रू0 6869.04	रू0 550.00	रू0 7419.04
2020–21	रू0 6889.33	रू0 580.00	रू0 7469.33
2021–22	रू0 7146.93	रू0 580.00	रू0 7726.93
2022–23	रू0 7399.16	रू0 1050.00	रू0 8449.16
2023–24	**रू0 6897.38**	रू0 1580.00	रू0 8477.38
कुल	**रू0 35210.84 लाख**	**रू0 4340.00 लाख**	**रू0 39541.84 लाख**

18. **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से निदेशालय को प्राप्त केन्द्रांश (Central Share))** :– निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के स्थापना पर व्यय होने वाली धनराशि का महालेखाकार ऑडिटेड व्यय प्रमाण पत्र के आधार पर 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है ।

दिनांक	धनराशि
28.04.2021	रू0 2582.54 लाख
19.9.2022	रू0 3251.31 लाख
17.04.2023	रू0 1389.17 लाख
कुल	**रू0 7273.02**

19. **सशस्त्र सेना झण्डा दिवस** :–

वर्ष	धनराशि
2019	रू0 1,81,39,446.00
2020	रू0 2,30,67,933.00
2021	रू0 2,30,67,933.00
2022	रू0 2,10,36,477.00

20. **विभागीय भ्रमणः**— माननीय मंत्री जी व प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण द्वारा निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास में भ्रमण

वर्ष	विशिष्ट अतिथिगणों का विभागीय भ्रमण
05 सितम्बर 2019	स्व0 श्री चेतन चौहान, मा. कैबिनेट मंत्री, सैनिक कल्याण
22 जुलाई 2021	श्री के रवीन्द्र नायक, आई.ए.एस प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
10 जून 2022	श्री हिमांशु कुमार, आई.ए.एस प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
22 नवम्बर 2022	डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
16 दिसम्बर 2022	डा0 हरिओम, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन

21. **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित योजनाः**—केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली की ऑनलाइन योजनाओं जैसे—प्रधानमंत्री छात्रवृति, रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष, पुत्री विवाह के अंतर्गत पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को लाभ प्रदान किया जाता हैं ।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना	
वर्ष	प्रार्थना पत्र प्राप्त
2019	371
2020	421
2021	378
2022	498
रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष	
वर्ष	प्रार्थना पत्र प्राप्त
2019	4593
2020	2417
2021	4262
2022	7589
पुत्री विवाह हेतु आर्थिक सहायता	
वर्ष	प्रार्थना पत्र प्राप्त
2019	336
2020	267
2021	389
2022	390

22. उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व सैनिक आश्रितों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता का विवरणः–

क्रसं0	योजनाओं के नाम	2019–2020		2020–.2021		2021–2022		2022–23		2023–24 (अक्टूबर तक)	
		पात्र	व्यय	पात्र	व्यय	पात्र	व्यय	पात्र	व्यय	पात्र	व्यय
	वार्षिक शैक्षिक सहायता	599	33.29	677	71.06	1511	189.4	1259	149.97	281	34.9
	पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक अनुदान	81	38.5	55	53.5	100	99.5	100	100	50	50
	NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के जे.सी.ओ. रैंक तक के पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों को सहायता	24	12	2	1	68	65.5	28	8	16	4
	ब्याज दर में छूट	2	0.82	2	0.6	2	0.8	0	0	1	0.7
	भू0पू0 सैनिकों/आश्रितों को Not covered under any scheme के अन्तर्गत सहायता	1	0.05	1	0.05	3	0,15	2	0.1	1	0.05
	Grant to PRC Kirkee(Pune)	-	-	4	10	-	-	-	-	-	-
	Grant to PRC Mohali (Punjab)	-	-	5	11.7	-	-	-	-	-	-
	Disability Grant	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.28
	Orphan Grant	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.2
	कुल	**707**	**84.66**	**746**	**21.7**	**173**	**355.35**	**1389**	**258.07**	**354**	**90.13**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधाएं

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. **वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को देय अनुदान धनराशिः**
उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के वीरता एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्तकर्ताओं को एकमुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी 30 वर्षों के लिये प्रदान की जाती है।

वर्ष 1986 के बाद देय पदक राशि (30 वर्ष के लिये)		
पदक का नाम	**एक मुश्त**	**वार्षिकी**
परमवीर चक्र	52,00,000	3,12,000
महावीर चक्र	31,00,000	2,37,000
वीर चक्र	20,80,000	1,37,000
परम विशिष्ट सेवा मेडल	2,39,000	11,000
अति विशिष्ट सेवा मेडल	1,18,000	10,000
विशिष्ट सेवा मेडल	47,000	9,000
सेना मेडल(वीरता)	1,00,000	15,000
मेन्शन–इन–डिस्पैच	52,000	13,000
सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	3,12,000	12,000
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	2,60,000	11,000
युद्ध सेवा मेडल	83,200	10,000
सेना मेडल (विशिष्ट)	90,000	9,000

2. प्री–86 के पदक विजेताओं को देय धनराशि

वर्ष 1986 के पूर्व देय पदक राशि		
पदक का नाम	**एक मुश्त**	**वार्षिकी**
परमवीर चक्र	32,50,000	1,95,000
महावीर चक्र	19,50,000	1,48,200
वीर चक्र	13,00,000	85,800
सेना मेडल(वीरता)	39,000	6,240
मेन्शन–इन–डिस्पैच	32,500	3,900

3. **अशोक चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदानः**

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के अशोक चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी का अनुदान निम्न तालिका के अनुसार दिया जाता है।

अशोक चक्र श्रृंखला						
वर्ष	अशोक चक्र		कीर्ति चक्र		शौर्य चक्र	
	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी
10 अक्टूबर 2018 से	32,50,000	1,50,000	19,50,000	1,30,000	13,00,000	65,000

4. **उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय अनुग्रह धनराशिः**

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अर्न्तराष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट–पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाये तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्यपालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाये, उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0 50 लाख की धनराशि की स्वीकृति शासनादेश सं0:505के/छः– सानिप्र–20–15(25)/2018 दिनांक 29 जुलाई 2020 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। जो 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी है।

5. **उत्तर प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों का सेवायोजनः**

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 19 मार्च 2018 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थल सेना, नौ सेना वायु सेना के शहीदों (Battle Casualty) के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है जो 01 अप्रैल 2017 से प्रभावी है।

6. **पूर्व सैनिक/शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों के लिये स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क में छूटः**

स्टाम्प एवं रजिस्ट्री अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0: 25/2016/888/94–स्टा.नि. –2–2016–500 (64)/80 दिनांक 11 नवम्बर 2016 के आदेशानुसार पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों को सम्पत्ति खरीद के प्रथम 20 लाख के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की जायेगी ।

7. **शहीद सैनिक की पत्नियों को गृहकर से मुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध मेंः**

देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैन्यकर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन में गृहकर से छूट प्रदान की गयी है । यह छूट केवल नगर निगमों के अन्तर्गत ही दी जा रही है तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये मान्य नहीं है ।

8. पूर्व सैनिकों के लिए भूखण्ड/निर्मित भवनों के आवंटन के आरक्षणः

प्राधिकार शासनादेश सं0 2905/37–2–91–94 एम.बी./91 दिनांक 25.11.1991 के अन्तर्गत उ.प्र. सरकार ने सेवारत कार्मिकों, पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों तथा मकान के भूखण्ड (प्लाट) आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण स्वीकृत है।

9. उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षणः

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समूह 'ग' और समूह ''घ'' के पदों पर रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण के साथ ही समूह–'ख' में 5 प्रतिशत का आरक्षण मार्च 2021 से प्रदान किया गया है।

10. वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध मेंः

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्य बल के सैनिकों/अधिकारियों, जो प्रदेश के नागरिक हों, को प्रदेश में निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है । थल, जल एवं वायु सेनाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रशंसा–पत्र (कमेन्डेंशन कार्ड) भी इस सुविधा के लिए मान्य है।

11. वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/परिवार तथा अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायताः

उ.प्र. सरकार ने आपरेशन 'पवन' (श्रीलंका), आपरेशन 'मेघदूत' (सियाचिन) में शहीद हुए प्रदेश में रहने वाले सशस्त्र सेना के सैनिकों की विधवाओं/परिवारों तथा अपंग हुए ऐसे सैनिकों को जो अपंगता के आधार पर सेवामुक्त हो गये हैं, क्रमशः रु0 15,000.00 तथा रु0 10,000.00 प्रति पात्र की दर से विशेष आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया है ।

12. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिक की पत्नियों को अनुदानः

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रहने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को अनुदान दिया जाता है । 21 अक्टूबर 2013 से प्रतिमाह रु0 4000/– थी इसे दिनांक 04 फरवरी 2016 को बढ़कार रू0 6000/– प्रतिमाह कर दिया गया है।

13. मेडिकल/इंजीनियरिंग/व्यवसायिक कालेजों, में पूर्व सैनिकों व उनके पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, उनकी पत्नियों को जिसमें युद्ध में मारे गये अथवा लापता घोषित और मृत मान लिये गये सैनिक भी सम्मिलित हैं, के आश्रितों को प्रदेश के समस्त औद्योगिक संस्थानों तथा राजकीय औद्यौगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 8 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है साथ ही यह आरक्षण सेना के विकलांग अधिकारियों, इमरजेंसी/शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं सेवारत/भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों के आश्रितों के लिए भी लागू है । राज्य प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण, राजकीय दीक्षा विद्यालयों में बी.टी.सी. के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण तथा सी.पी.एम.टी में एक प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है ।

14. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों वितरण के आवंटन में वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था कार्यान्वित किये जाने हेतु आवंटन प्रारम्भ किये जाने हेतु नीति निर्देशः

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0–2714/29–6–2002–162 सा0/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों एवं युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवार के सदस्य एवं युद्ध में घायल हुये सैनिकों को नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन में 08 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है ।

15. जिला सैनिक बन्धु का गठनः

सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0:–1244/48–2008–96 (विविध)/91 टी. सी–11 दिनांक 20 सितम्बर 2008 के अन्तर्गत जिले स्तर पर सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परतापूर्वक समुचित कार्यवाही के लिये जिला सैनिक बन्धु के गठन हेतु आदेश जारी किया गया, जिसमें जिला प्रशासन इस दिशा में निरन्तर सजगता बरतते हुए सैनिकों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करेगा ।

16. प्रशिक्षण कार्यक्रमः

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए निम्नलिखित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है :–

(क) इन्फोमेशन टेक्नालॉजी प्रशिक्षण	– 394 सीटें (480 घंटों का प्रशिक्षण)
(ख) कम्प्यूटर टैली प्रशिक्षण	– 60 सीटें (180 घंटों का प्रशिक्षण)
(ग) कम्प्यूटर फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण	– 110 सीटें (300 घंटों का प्रशिक्षण)
(घ) एस.एस.बी. साक्षात्कार प्रशिक्षण	– 75 सीटें (30 दिनों का प्रशिक्षण)

17. पूर्व सैनिकों को ग्राम सभा की फालतू भूमि के आवंटन में वरीयता

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 के अंतर्गत भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम सभा की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्राथमिकताएं निम्नलिखित है :–

(क) ऐसे व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, न्याय पंचायत में रहने वाले भूमिहीन अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ या उसके भूमिहीन माता–पिता।

(ख) न्याय पंचायत में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण पूर्णतया निर्योग्य हो गया है ।

(ग) न्याय पंचायत में रहने वाले कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में अधिकारी से भिन्न किसी सेवा से सेवानिवृत्त, निर्मुक्त या सेवा मुक्त हों ।

उ0 प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा योजनाओं यथा वार्षिक शैक्षिक सहायता एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसकी वेबसाइट www.upspnlko.up.gov.in है । उक्त वेबसाइट के माध्यम से पूर्व सैनिक/विधवा एवं उनके आश्रित आर्थिक अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित योजनाएँः

(अ) **वार्षिक शैक्षिक सहायताः**

क्रम सं0	कक्षा स्तर	धनराशि
1	कक्षा 9–10	6500
2	कक्षा 11–12	7500
3	स्नातक स्तर– (बी0ए0 तथा बी0काम0, बी0एस0सी0, बी0एड0, बी0बी0ए0 आदि)	8500
4	स्नातकोत्तर स्तर– (एम0ए0, एम0काम0 एम0एस0सी0 आदि)	11000
5	इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स – आई0टी0आई0 एवं अन्य सर्टिफिकेट कोर्स	13000
6	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0टेक0, बी0बी0एस0सी0, एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0 आदि)	30000

(ब) **पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता :**
माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2020 से पूर्व सैनिकों (जे0सी0ओ0 रैंक तक) की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह हेतु पूर्व में दी जाने वाली धनराशि रू0 50,000/– को बढ़ाकर रू0 1,00,000/– प्रति पुत्री की एकमुश्त सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(स) **पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट देनः**
पूर्व सैनिक/उनकी विधवा द्वारा अपने पुनर्वास (स्वरोजगार) हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर निम्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है :–

(क) रू0 5.00 लाख तक के ऋण पर ऋण के 10 प्रतिशत तथा रू0 5,00,001/– से रू0 10,00,000/– तक के ऋण पर ऋण के 5 प्रतिशत की छूट देय ।

(ख) रू0 10.00 लाख से अधिक ऋण लिये जाने वाले प्रकरणों पर केवल रू0 10.00 लाख ऋण मानते हुये ऋण पर उक्त प्रस्तावित योजना के प्रस्तर–क के अनुसार छूट दी जायेगी ।

(ग) पूर्व सैनिक द्वारा अपने पुत्र/पुत्री (अधिकतम दो बच्चों हेतु) हेतु तकनीकी शिक्षा के

लिये बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर भी उक्तानुसार छूट प्रदान की जायेगी ।

(द) NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के दो पुत्रों तक रू0 25,000/– प्रति एवं पुत्रियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त योजना में दी जाने वाली धनराशि रू0 25,000/–के अतिरिक्त रू0 50,000/–प्रति आश्रित (पुत्री) की दर से अधिकतम दो पुत्रियों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

नयी योजनायें:

माननीय श्री राज्यपाल द्वारा निधि की प्रबन्ध समिति की 49वीं बैठक दिनांक 13 जनवरी 2023 में निम्नलिखित 04 योजनायें दिनांक 01 अप्रैल 2023 से संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

(क) हवलदार रैंक (जीवित न होने की दशा में जे0सी0ओ0 रैंक) तक के पूर्व सैनिकों के आश्रित एवं उनकी विधवायें जो ई0सी0एच0एस0 योजना के पात्र नहीं है, को इलाज हेतु वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 10,000/–तक की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति।

(ख) हवलदार रैंक (जीवित न होने की दशा में जे0सी0ओ0 रैंक) तक के पूर्व सैनिकों के आश्रित एवं उनकी विधवायें जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुये हों को तात्कालिक एकमुश्त रू0 10,000/– तक की आर्थिक सहायता ।

(ग) अनाथ बच्चे को एकमुश्त आर्थिक सहायता–जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों के एक अनाथ बच्चे को पेंशन की सुविधा उपलब्ध होने तक एकमुश्त रू0 10,000/– की आर्थिक सहायता।

(घ) विकलांग आश्रित को अनुदान– हवलदार रैंक (जीवित न होने की दशा में जे0सी0ओ0 रैंक) तक के पूर्व सैनिकों के आश्रित एवं उनकी विधवाओं के विकलांग आश्रितों एवं पूर्व सैनिक की विकलांग पत्नी को अनुदानःविकलांगता प्रतिशत–50प्रतिशत तक–रू0 8000/–, 50 प्रतिशत से अधिक–रू0 10,000/–

विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.upspnlko.up.gov.in पर उपलब्ध है ।

उ0 प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि
करिय्यपा भवन, कैसरबाग, लखनऊ
दूरभाष– 0522–2622732
ईमेल– upspn-lko@up.gov.in

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0

निगम द्वारा पूर्व सैनिकों को पुनर्सेवायोजन में सहायताः

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 की स्थापना 23 मई 1989 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु की गई है । निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभागों, प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, चिकित्सा/शैक्षणिक संस्थानों एवं निजी प्रतिष्ठानों से अनुबंध प्राप्त कर सुरक्षा एवं तकनीकी सेवाओं में संविदा पर पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार के अवसर प्रदान कराये जा रहे हैं । निगम से संबंधित सूचनाएं उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निगम मुख्यालयः

पता	
मुख्यालय उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, कैनाल रिंग रोड, देवी खेड़ा निकट–एन0बी0एफ0जी0आर0, पो0–दिलकुशा, लखनऊ–226 002	: 7080202777 : md@upsainiknigam.com : dgm@upsainiknigam.com : www.upsainiknigam.com

क्षेत्रीय कार्यालय के दूरभाष/मोबाइल नं0 एवं ई–मेलः

वर्तमान में निगम के कार्यों का संचालन निम्न 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है, जिनके दूरभाष एवं ई–मेल के विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	क्षेत्रीय कार्यालय	दूरभाष नं0	मोबाइल नं0	ई–मेल
1.	आगरा	0562–2400981	7860030483	agmagra@upsainiknigam.com
2.	बरेली	0581–2522230	7860030481	agmbareilly@upsainiknigam.com
3.	गोरखपुर	0551–2202752	7860030480	agmgorakhpur@upsainiknigam.com
4.	झांसी	0510–2321375	7860030479	agmjhansi @upsainiknigam.com
5.	कानपुर	0512–3555181	7860030478	agmkanpur @upsainiknigam.com
6.	लखनऊ	0522–2446053	7860030417	agmlucknow @upsainiknigam.com
7.	मेरठ	0121–2632860	7860030476	agmmeerut @upsainiknigam.com
8.	नोएडा	0120–4213346	8882487043	agmnoida @upsainiknigam.com
9.	प्रयागराज	0532–2231008	7860030482	agmallahabad@upsainiknigam.com
10.	वाराणसी	0542–2500511	7860030475	agmvaranasi @upsainiknigam.com

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

इतिहासः

इसकी स्थापना 10 दिसम्बर, 1963 को मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष में जमा धन में से रु0 1.5 करोड़ की धनराशि से की गयी थी। यह धनराशि एक ट्रस्ट के रूप में विनियोजित है, जिसके निर्णायक (Settler) मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश हैं ।

उद्देश्यः

संस्थान का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा बाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्सरजेन्सी (आतंकवाद) की घटनाओं/आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में आपरेशन पवन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख–रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैविक–आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी./विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, की भलाई के लिये योजनायें संचालित करना है । अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि का उल्लेख संस्थान की वेबसाइट http://uppafss.up.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

संचालित योजनायें:

उपरोक्त वर्णित घटनाओं/परिस्थितियों में सशस्त्र सैन्यबल/पुलिस एवं पी.ए.सी. कर्मियों के वीरगति अथवा स्थायी रूप से अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने की दशा में अनुग्रह अनुदान प्रदान करना ।

(क) जीवन निर्वाह हेतु सहायता।
(ख) लड़कियों के विवाह में सहायता।
(ग) विशेष चिकित्सा जैसेः कैंसर, हृदय प्रत्यापण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।
(घ) लाभ–भोगियों के बच्चों को वार्षिक शिक्षा सहायता।

संस्थान द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता की दरें निम्नवत् हैं :–

	वीरगति को प्राप्त मामलों में अनुग्रह अनुदान	स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में (अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर)	लडकियों की शादी हेतु
दिनांक 15.6.12 से 18.7.13 तक	4 लाख	1,75,000	
दिनांक 19.7.13 से 3.10.2018	6 लाख	3 लाख	1,50,000
दिनांक 04.10.18 से 12.08.2021	10 लाख	6 लाख	2,00,000
दिनांक 13.08.2021	10 लाख	7 लाख	2,50,000

शासनादेश

अनुग्रह अनुदान

उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या–505के/छः–सानिप्र–20–15(25)/2018
लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (तीनों अंगों–थल, जल एवं वायु सेना) के शहीद जवानों के आश्रित/परिवार को ₹-50,00,000/- (रूपये पचास लाख) की अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के कर्तव्य पालन/ड्यूटी के दौरान शहीद जवानों के आश्रित/परिवार को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत नियम/उप नियम/उपबन्ध एवं व्यवस्थायें निर्दिष्ट करते है:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1. (क) उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के शहीद जवानों के आश्रित/परिवार को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में "कार्यकारी आदेश" के नाम से अभिज्ञात होगा।

(ख) यह "कार्यकारी आदेश" दिनांक–01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

परिभाषाएं

2. **शहीद**– उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) मे कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/ड्यूटी के दौरान आतंकवाद, अतिवादी, अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर दुश्मन से झड़प, छुट–पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों/अतिवादी गतिविधियों, विस्फोटकों की हैण्डलिंग, चिकित्सकीय कारणों/अति दुर्लभ पहाड़ी ऊचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक आपदाओं अथवा अति खराब मौसम/दुर्घटना इत्यादि के फलस्वरूप मृत्यु हो जाये तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्य पालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाने पर शहीद माना जायेगा।

अनुमन्य आर्थिक सहायता का वितरण

3. उक्त प्रस्तर–2 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/ड्यूटी के दौरान शहीद जवानों के आश्रित/परिवार को ₹-50,00,000/- (रूपये पचास लाख) की अनुग्रह आर्थिक सहायता निम्नवत वरीयता क्रम में वितरित की जायेगी :–

(1) यदि शहीद विवाहित है तथा उसके माता–पिता में से एक या दोनों जीवित हैं, तो शहीद के परिवार हेतु उसकी पत्नी को ₹-35,00,000/- (रूपये पैंतिस लाख) तथा माता–पिता अथवा उनमें से जो कोई जीवित हो को माता–पिता को अनुमन्य धनराशि ₹-15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख) वितरित की जायेगी।

(2) शहीद के विवाहित होने तथा माता–पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की दशा में माता–पिता को अनुमन्य धनराशि सहित शहीद की पत्नी को कुल ₹-50,00,000/- वितरित की जायेगी।

(3) शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि सहित उसके माता–पिता अथवा उसमें जो भी जीवित हों को कुल ₹-50,00,000/- (रूपये पचास लाख) वितरित की जायेगी।

शिथिलीकरण अथवा विचलन

4. (1) उक्त निर्धारित की गई सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा ऊपर निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन के गृह विभाग में उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) निर्धारित की गयी सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दिये जाने/शिथिलीकरण किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3– उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के सशस्त्र बल/अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/ड्यूटी के दौरान शहीद जवानों के आश्रित/परिवार को अनुग्रह आर्थिक सहायता ₹-50,00,000/- (रूपये पचास लाख) दिये जाने के प्रयोजनार्थ इस आदेश में वर्णित एवं उल्लिखित उपबन्धों का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव, गृह

संख्या–505के(1)/छः–सानिप्र–20 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में बजट आवंटन हेतु।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज।
4. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस महानिरीक्षक, मध्य सेक्टर मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, टी.सी.–32/बी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
13. वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–12
14. गृह (पुलिस) अनुभाग–6, तथा 10
15. गार्ड फाईल।

07 AUG 2020

आज्ञा से,
7/8/2020
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

वीरता पुरस्कार विजेताओं (प्री–86) देय धनराशि

संख्याः 262 / 48–2018–1 / 12(25) / 17 टी.सी. ।।

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0
लखनऊ ।

सैनिक कल्याण अनुभाग लखनऊः दिनांक 15 जून, 2018

विषय : वर्ष 1986 के पूर्व के वीर चक्र श्रृंखला व सेना मेडल, मेन्शन–इन–डिस्पैच के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त धनराशि एवं वार्षिकी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल एवं वायु सेना के ऐसे सैनिकों जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल (वीरता), मेन्शन–इन–डिस्पैच से वर्ष 1986 से पूर्व विभूषित किया गया है, को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों पर नकद पुरस्कार दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :–

कम सं0	पदक का नाम	एक मुश्त	वार्षिकी
1	परमवीर चक्र	32,50,000	1,95,000
2	महावीर चक्र	19,50,000	1,48,200
3	वीर चक्र	13,00,000	85,800
4	सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल(वीरता)	39,000	6,240
5	मेन्शन–इन– डिस्पैच	32,500	3,900

2. उपर्युक्त पुरस्कारों के लिये एकमुश्त एवं वार्षिकी की उक्त दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

3. उपर्युक्त स्वीकृत नकद अनुदान पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में लेखाशीर्षक 2075–विविध सामान्य सेवायें–104–विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार–**04–वीर चक्र श्रृंखला (परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र) के विजताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार / अनुदान**–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक 2075–विविध सामान्य सेवायें–104–विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार–**05–बार–टू–सेना मेडल(सेना मेडल (वीरता), मेन्शन–इन–डिस्पैच) के पुरस्कार प्राप्त उ0प्र0 के सैनिकों को एकमुश्त नकद पुरस्कार**–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः ई–4–38 / दस–2018 दिनांक 22.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या : 262(1)/48–2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/सामान्य प्रशासन/गृह एवं गोपन विभाग।
3. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0(द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
6. सचिव ,केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
9. जनरल आफिसर कमाण्डिंग इन चीफ, सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊ
10. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/4/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
उप सचिव।

वीरता पुरस्कार विजेताओं (पोस्ट-८६) देय धनराशि

प्रेषक,   संख्याः 431/48-2018-113 (विविध)/2004

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0,
लखनऊ।

सैनिक कल्याण अनुभागः   लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2018

विषयः वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-9001/सि0सै0सम0सम्मे0-2018/स0प0-3/1003 दिनांक-12.06.2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में रहने वाले जल, थल, वायु सेना के ऐसे सैनिकों जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा युद्व क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक, महावीर चक, वीर चक, सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल (वीरता), मेन्सन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्व सेवा मेडल, उत्तम युद्व सेवा मेडल, युद्व सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल से विभूषित किया जाता है, को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली नकद पुरस्कार तथा भूमि के बदले नकद धनराशि का समावेश करते हुये उक्त एकमुश्त पुरस्कार तथा वार्षिकी निम्नवत् पुनरीक्षित दरों से दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क0सं0	पदक का नाम	एक मुश्त धनराशि	वार्षिकी की धनराशि
1	परमवीर चक	52,00,000	3,12,000
2.	महावीर चक	31,00,000	2,37,000
3.	वीर चक	20,80,000	1,37,000
4.	सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल (वीरता)	1,00,000	15,000
5.	मेन्शन -इन- डिस्पैच	52,000	13,000
6.	सर्वोत्तम युद्व सेवा मेडल	3,12,000	12,000
7.	उत्तम युद्व सेवा मेडल	2,60,000	11,000
8.	युद्व सेवा मेडल	83,200	10,000
9.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	2,39,000	11,000
10.	अतिविशिष्ट सेवा मेडल	1,18,000	10,000
11.	सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल (विशिष्ट)	90,000	9,000
12.	विशिष्ट सेवा मेडल	47,000	9,000

2. उपरोक्त पुरस्कारों के लिये एकमुश्त पुरस्कार एवं वार्षिकी की उपर्युक्त दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। एतद्विषयक पूर्व शासनादेश संख्या-157/48-2010-19(7)/72 टी0सी0 ।।। दिनांक-30.03.2010 एवं शासनादेश सं0-148/48-2016-113 (विविध)/2004 दिनांक 13.04.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शेष पूर्व व्यवस्थायें यथावत रहेगी ।

3. उक्त पर आने वाला व्यय भार अनुदान सं0-87 के लेखाशीर्षक-2075-विविध सामान्य सेवायें-104-विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार-04-वीर चक श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 05-वार-टू-सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उ0प्र0 के एवं सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 07-विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-2435/एसीएसएफ/2018 दिनांक-28.06.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

(2)

संख्याः 431 (1)/48–2018–113 (विविध)/2004 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/सामान्य प्रशासन/गृह एवं गोपन विभाग ।
3. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कार्यालय (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)
6. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
7. महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण)।
9. जनरल आफीसर कमान्डिंग इन चीफ, सेन्ट्रल कमान्ड, लखनऊ ।
10. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–4/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भगवती)
संयुक्त सचिव।

अशोक चक्र श्रृंखला

संख्या- 1471/तीन-2018-10(35)2016

प्रेषक,

जितेंद्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग | लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

विषय:- अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से पुरस्कृत नागरिकों को दी जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एव शौर्य चक्र) से अलंकृत प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि दिए जाने संबंधी शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1) /2004 दिनांक 21 सितंबर 2008 एवं शासनादेश संख्या-2314/ तीन-2010-5(1)/2004 दिनांक 27 दिसंबर 2010 के अनुक्रम में दिनांक 1 जनवरी 1986 के बाद के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं के लिए निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पुरस्कार के स्तंभ-5, 6 में अंकित धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी 1986 के पूर्व के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं को भी निम्नलिखित तालिका के पुरस्कार स्तंभ-2 में उल्लिखित पुरस्कार के सम्मुख प्रस्तावित स्तंभ-6 में उल्लिखित वार्षिकी की बढ़ी हुई धनराशि अग्रतर प्रस्तर-2 से 6 में अंकित व्यवस्था के अधीन स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पुरस्कार	शासनादेश संख्या- 2028(1) / तीन-2008-5(1) /2004 दिनांक 21 सितंबर 2008 एवं शासनादेश संख्या-2314 / तीन-2010-5(1)/ 2004 दिनांक 27 दिसंबर 2010 द्वारा स्वीकृत (रू0 लाख में)		प्रस्तावित (रू0 लाख में)	
		एकमुश्त	वार्षिकी	एकमुश्त	वार्षिकी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अशोक चक्र	25.00	1.20	32.50	1.56
2	कीर्ति चक्र	15.00	1.00	19.50	1.30
3	शौर्य चक्र	10.00	0.50	13.00	0.65

ac dest

2- दिनांक 1 जनवरी 1986 के बाद के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं को उक्त तालिका के स्तम्भ-2 में पुरस्कार के नाम के सम्मुख स्तंभ-5 व 6 में अंकित धनराशि आदेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगी।

3- दिनांक 1 जनवरी 1986 के पूर्व के अशोक चक्र श्रृंखला के विजेताओं को भी उक्त तालिका के स्तंभ-02 में उल्लिखित पुरस्कार के नाम के सम्मुख स्तंभ- 6 में अंकित वार्षिकी की धनराशि आदेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगी।

4- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत विजेताओं को ही बढ़ी हुई दर से एकमुश्त की धनराशि अनुमन्य होगी।

5- इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व के अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत ऐसे विजेताओं जिन्हें एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि न मिली हो, उन्हें पूर्व के शासनादेश में प्रावधानित व्यवस्था के अनुरुप धनराशि प्राप्त होगी तथा शासनादेश जारी होने के बाद बढ़ी हुई वार्षिकी अग्रेतर वर्षो में मिलेगी।

6- उक्त प्रस्तर-1 में प्रावधानित व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी, ऐसी स्थिति में कोई एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय-भार, अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक -2075- विविध सामान्य सेवाएं-800 - अन्य व्यय- 03- अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किए जाने वाले 30 प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रुप में एकमुश्त धनराशि के नामे डाला जाएगा।

8- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय पं0 संख्या-ई-5-1410/दस-2018 दिनांक 03 अक्टूबर 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(जितेंद्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1) / तीन-2018-10(35)2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव,सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
6- अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत, सरकार नई दिल्ली।
7- जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ।
8- निदेशक, सूचना निदेशालय उ0प्र0 को प्रचार- प्रसार हेतु।
9- एडजुटैन्ट जनरल, सेना मुख्यालय, डी0एच0क्यू0पी0ओ0, नई दिल्ली।

ac dest

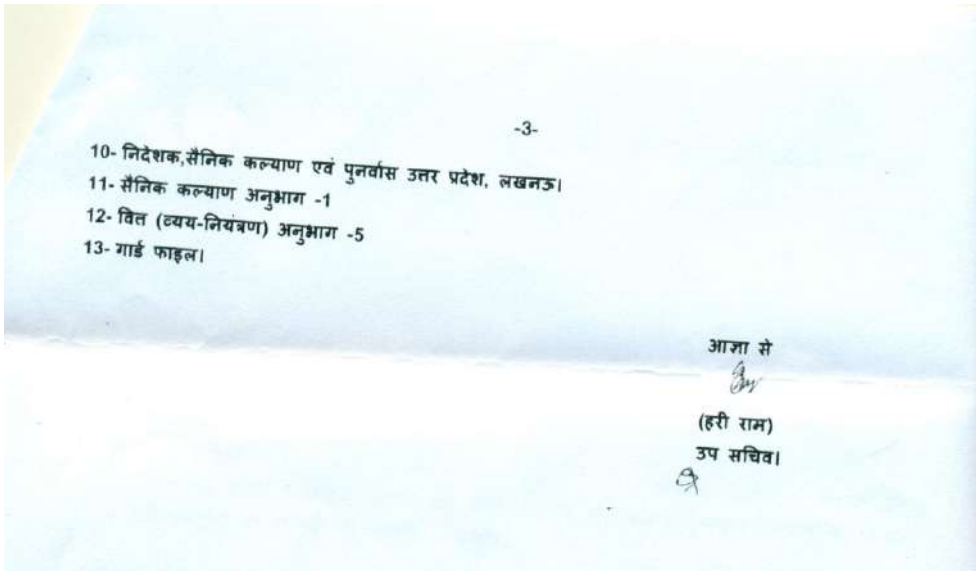

-3-

10- निदेशक,सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- सैनिक कल्याण अनुभाग -1
12- वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -5
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
उप सचिव।

शहीद आश्रितों का सेवायोजन

उत्तर प्रदेश शासन
सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या-1/2018/**155/48-2018-14**(विविध) /2017
लखनऊ दिनांक 19 मार्च, **2018**

आदेश

सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों /अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

2- उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शहीद सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत नियम/उप नियम/उपबन्ध एवं व्यवस्थायें विनिर्दिष्ट करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व विस्तार

1- (क) यह आदेश " उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (Domicile) शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कार्यकारी आदेश " के नाम से अभिज्ञात होगा ।

(ख) यह आदेश वर्ष 2017-18 के माह अप्रैल के प्रथम दिवस या उसके बाद के शहीद सैनिकों/ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में नियोजित करने के परिप्रेक्ष्य में लागू होगा ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और अन्य पदों पर शहीदों के आश्रितों को सेवायोजित किया जायेगा किन्तु यह उन सेवाओं और पदों पर लागू नहीं होगा जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं ।

परिभाषाएँ

2- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश के अन्तर्गत -

(क) <u>शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य</u>

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त /कमीशण्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आफीसर / सैनिक हैं जिनका कर्तब्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अन्र्तराष्ट्रीय युद्ध, गोलावारी, बैटल एक्सीडेन्ट, सीमा पर छुट-पुट / आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुये है ।

अथवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर वर्णित घटनाओं के समय ऐसे लापता शहीद जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत वरीयता क्रम में निम्नलिखित माने जायेंगे :-

(शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में)

1- पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)
2- पुत्र/विधवा पुत्रवधू ।
3- अविवाहित पुत्रियॉ
4- कानून संगत दत्तक पुत्र /दत्तक पुत्रियॉ
5- पिता / माता

परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक /मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित पौत्र / अविवाहित पौत्रियॉ आश्रित की श्रेणी में माने जायेंगे ।

(शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में)

1- पिता/ माता
2- अविवाहित भाई
3- अविवाहित बहन
4- विवाहित भाई

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पद से संबंधित नियमावली में वर्णित नियुक्ति अधिकारी से है ।

सेवायोजन हेतु आवेदन एवं उसकी प्रक्रिया का निर्धारण

3- शहीद सैनिक के आश्रित की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं के लिए सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 तथा अर्द्धसैनिक बल के लिए गृह विभाग, उ0प्र0 को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बोधित किया जायेगा, जिसमें अन्य अपेक्षित तथ्यों के साथ-साथ मृत शहीद की मृत्यु का दिनांक, सेना/अर्द्धसैनिक बल की इकाई एवं पद, (जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।) का भलीभॉति उल्लेख किया जायेगा । आवेदन पत्र में परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु, विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी विवरण भी उल्लिखित किये जायेंगे ।

सेवायोजन हेतु विभागों का आवंटन

(4) सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं गृह विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने-अपने विभाग में शहीद आश्रितों के प्राप्त संबंधी आवेदन पत्र को विभागों की रोस्टर प्रणाली के अनुसार सेवायोजन हेतु संबंधित विभाग को आवंटित किया जायेगा।

पद के लिए शैक्षिक अर्हताएँ

(5) शहीद के आश्रित के किसी सदस्य की भर्ती हेतु यह आवश्यक होगा कि वह पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएँ पूरी करता हो ।

परन्तु भारत सरकार/राज्य सरकार व उनके अधीन अर्द्ध सरकारी संस्थानों में कार्यरत /सेवानिवृत्त कर्मी एवं संवैधानिक पदों पर कार्यरत /पूर्व में कार्य कर चुके शहीद के आश्रित सेवा के योग्य नहीं माने जायेंगे ।

सेवायोजन हेतु वरीयता का निर्धारण।

(6) यदि शहीद के परिवार के एकाधिक सदस्य सेवायोजन हेतु पात्र है तो ऐसी दशा में वरीयता में पहले आने वाले आश्रित द्वारा यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर कि यह सेवायोजन हेतु अपने अवसर को अगली वरीयता के आश्रित को हस्तान्तरित कर रहे है तभी अगली वरीयता के आश्रित को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवायोजित किया जायेगा। सेवायोजित करते समय समस्त परिवार विशेष रूप से उसके माता/ पिता तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखा जायेगा ।

सेवायोजन हेतु आयु

(7) शहीद के आश्रित की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होगी । अधिवर्षता आयु पूरी कर चुके आवेदकों पर विचार नही किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवायोजन हेतु रोस्टर प्रणाली का तैयार किया जाना।

(8) शहीद के आश्रित की भर्ती /नियुक्ति हेतु विभागों की रोस्टर प्रणाली तैयार करके प्राप्त आवेदनों को आवंटित करके सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी ।

रिक्ति की विद्धमानता न होने की दशा में अधिसंख्य पदों का सृजन ।

(9) संबंधित विभाग में रिक्ति की विद्धमानता न होने की दशा में ऐसी नियुक्ति अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई नियमित रिक्ति उपलब्ध न हो जाय ।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

(10) शहीदों के आश्रितों की नियुक्ति/सेवायोजन प्रदान किये जाने के संबंध में एवं विभागवार रोस्टर निर्धारण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नवत उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है -

(1) मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन - अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन- सदस्य
(रोस्टर में शामिल विभाग)

उपर्युक्तानुसार गठित समिति द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

सेवायोजन हेतु नोडल विभाग

(11) सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं के मृतक आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण विभाग, उ0प्र0 एवं अर्द्धसैनिक बल के मृतक आश्रितों के लिए गृह विभाग, उ0प्र0 नोडल विभाग होंगे जो समय-समय पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कठिनाईयों का निवारण

(12) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चधिकार प्राप्त समिति इस आदेश के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई / त्रुटि को दूर करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह इस प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन समझे ।

3- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शहीद सैनिकों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जने के प्रयोजनार्थ इस आदेश में वर्णित एवं उल्लिखित उपबन्धों का अक्षरश: अनुपालन प्रदेश शासन के अन्तर्गत समस्त विभागों पर बाध्यकारी होगा ।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या: 155(1)/48-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवायोजन में आरक्षण

संख्याः 18/1/95–का–2/टी–सी.–1999

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 1999

विषयः– **<u>उ.प्र. लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ।</u>**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे उक्त (संशोधन) अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य–मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ हैः–

1. इस संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार यह संशोधन अधिनियम, 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
2. इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार समूह "क" के पद या समूह "ख" के पद का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है ।
3. इस अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (एक–क) के अनुसार समूह "क" के पदों या समूह "ख" के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का 5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है ।

आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न संशोधन अधिनियम, 1999 के समस्त प्राविधानों का सभी स्तरों पर उन सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय जिसका उल्लेख आरक्षण संशोधन अधिनियम में उल्लिखित है । यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें, ताकि इन प्राविधानों का संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

सुधीर कुमार
सचिव

सेवायोजन में आरक्षण

संख्या-1/2021/18/1/95/का-2/2021

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 16 मार्च, 2021

विषयः- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2021 की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2021/18/1/95(1)-का-2/2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

क्रम-संख्या–51

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 10 मार्च, 2021
फाल्गुन 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 450 / 79-वि-1–21-1-क-12-21
लखनऊ, 10 मार्च, 2021

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे कार्मिक अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 10 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (एक–क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

(एक–क) समूह 'क' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में ऐसे दिनांक को और से, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 गजट में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पाँच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए।

उद्देश्य और कारण

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999, जिसके माध्यम से समूह "क" एवं समूह "ख" के पदों से भिन्न पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए पाँच प्रतिशत आरक्षण की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, द्वारा संशोधित किया गया था।

राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्सम्बंधी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से उन्हें समूह "ख" के पदों पर भी पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

790_RPH_2021_(Freedom Fighters)-2021 Data-4E

स्टाम्प ड्यूटी में छूट

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2
संख्याः 25 / 2016 / 888 / 94–स्टा0नि0–2–2016–500(64) / 80
लखनऊ : दिनांक : 11 नवम्बर, 2016

अधिसूचना आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या–445 / क.नि. / 11–7–2013–500 (64)–80, दिनांक 17–05–2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं। यह छूट सम्पत्ति के प्रथम रु0 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होगी। सम्पत्ति का मूल्यांकन रु0 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रु0 20 लाख से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

प्रतिबंध यह है कि :–

(1) भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों में से प्रत्येक के विधिक आश्रितों में से किसी एक आश्रित, जिसके लिए उसके अन्य आश्रितों की सहमति हो, को ही यह छूट अनुमन्य होगी।

(2) यह छूट, पात्रता की दशा में उपर्युक्त को एक ही बार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 25 / 2016 / 888 / 94 / स्टा0नि0–2–2016–500 (64) / 80, दिनांक 11 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन ।
3. आयुक्त स्टाम्प / महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / शिविर कार्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ ।
7. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन ।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

स्टाम्प ड्यूटी में छूट

संख्या- 583/94-स्टा०नि०-2-2018-700(03)/2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2018

विषय- भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-939/स्टाम्प-विविध 25/2018 दिनांक 14.05.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में शहीद सैनिकों विधिक आश्रितों के पक्ष में रू0 20 लाख तक मूल्य तक की सम्पतियों के हस्तांतरण विलेखों एवं पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या-25/2016/888/94-स्टा0नि0-2-2016-500(64)/80 दिनांक 11.11.2016 जारी की गई थी। इस अधिसूचना में भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिकों बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने तथा यह छूट सम्पति के प्रथम रू0 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होने तथा सम्पति मूल्यांकन रू0 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रू0 20 से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य देय होने का प्राविधान है।

3. शासन के संज्ञान में यह आया है कि आवास विकास एंव विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भवनों/भूखण्डों के आवंटन में पति-पत्नी को एक यूनिट माना गया है तथा भवन की रजिस्ट्री संयुक्त नाम से होती है तो भवनों/भूखण्डों की रजिस्ट्री कराने पर आवंटियों को उक्त अधिसूचना दिनांक 11.11.2016 के अन्तर्गत सम्पति के प्रथम रू0 20 लाख तक के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क की छूट अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आवंटियों को अनुमन्य छूट का लाभ एकल नाम से ही मिल पा रहा है।

अधिसूचना दिनांक 11.11.2016 में सम्बन्धित विलेखों में भूतपूर्व सैनिकों अथवा शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों के पक्ष में एकल नाम से अंतरण किये जाने की कोई अनिवार्य शर्त विहित नहीं है, अर्थात यह अधिसूचना उस दशा में भी लागू होनी चाहिए जबकि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिकों के विधिक आश्रित किसी हस्तांतरण अथवा पट्टा विलेख में संयुक्त अंतरिती हों।

—2—

4. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विलेखों में भी यदि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित का अंतरिती के रूप में हिस्सा रू0 20 लाख तक का है तो इस सीमा तक उन्हे छूट का लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 583(1)/94-स्टा०नि०-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल्)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में आरक्षण

संख्या–2985 / 37–2–91–94 एच.बी. / 91

प्रेषक,

नीता चौधरी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
104–महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर 1991

विषयः–<u>उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों / भूखण्डों / दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए आरक्षण।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3840 / 11–5–86–18मिस / 78 दिनांक 04 जून 1986 एवं शासनादेश संख्या–3898 / 11–5–18मिस / 78, दिनांक 7 जुलाई 1989 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून 1986 में निम्न प्रकार के परिवर्तन किये जाते हैं :–

1. आरक्षण का मद संख्या–5 में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, स्थानीय निकायों के कर्मचारी के लिए उपलब्ध 5 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर 2 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है ।
2. पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को 3 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाय ।
3. कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून 1986 का उक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,
नीता चौधरी
विशेष सचिव

संख्या :– 2985(1) / 37–2–98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, संसदीय समीकरण अनुभाग।
2. सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।
3. मुख्य मंत्री सचिवालय अनुभाग।
4. आवास विकास के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह.
विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उपसचिव

शैक्षिक आरक्षण

मेडिकल/इंजीनियरिंग/व्यवसायिक कालेजों, में पूर्व सैनिकों व उनके पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, उनकी पत्नियों को जिसमें युद्ध में मारे गये अथवा लापता घोषित और मृत मान लिये गये सैनिक भी सम्मिलित हैं, के आश्रितों को निम्नलिखित शैक्षिक सुविधायें प्राप्त हैं :–

(क) पूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को बी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुग्रहांक दिये जाने का प्राविधान है ।

(ख) राज्य के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग (बी.टी.सी.) के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण । प्रशिक्षण संस्थाओं में विकलांग अधिकारियों, इमरजेंसी/शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों पूर्व सैनिकों, सेवारत सुरक्षा कर्मियों तथा उनके पुत्रों, सगे भाइयों, पुत्रियों, बहनों और पत्नी के लिए उ0प्र0 के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में दो वर्षीय बी.टी.सी. पाठ्यक्रम के लिये तीन प्रतिशत स्थान (सीटें) आरक्षित हैं । प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए./बी. काम./बी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो कार्मिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से मध्यमा (विशारद) परीक्षा उत्तीर्ण हैं वे बी.टी.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं हैं ।

प्राधिकार : शिक्षा निदेशक, उ.प्र. (शिक्षा सामान्य–3) पत्र संख्या–सा(3)/9179/15–16(4)/83–84, दिनांक 21 मार्च, 1984

(ग) प्रदेश में स्थित मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु (नीट यू.जी.) युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के बच्चों को एक प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य है ।

प्राधिकार : शासनदेश संख्या–2154/सैक–14/पाँच–1/87 दिनांक 31 मार्च, 1987

(घ) राज्य सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु युद्ध में मारे गये/अपंग हुए सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान किया है । ऐसे अभ्यार्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होना आवश्यक है ।

प्राधिकार : शासनादेश संख्या–1043/सोलह–1–2007–14(6)/2006, 22 जून 2007

(च) प्रदेश के समस्त औद्योगिक संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 8 प्रतिशत का आरक्षण सेना के विकलांग अधिकारियों/इमरजेन्सी कमीशन/शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों एवं सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रदान किया गया है ।

प्राधिकारः शासनादेश सं. 162/36–6–92(टी)/77 दिनांक 31 जनवरी, 1978 तथा 1827/36–6–92/77 दिनांक 08 अगस्त, 1980

(छ) महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय में बी0ए0 में प्रवेश हेतु आरक्षण ।

प्राधिकार : शासनादेश सं. 1484/48/88–11–2(18)/1981 दिनांक 16 जुलाई 1988

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के कार्यान्वित किये जाने एवं आवंटन प्रारम्भ किये जाने हेतु

नीति–निर्देश

प्राधिकारः उ0प्र0 सरकार शासनादेश सं0–2714/29–6–2002–162सा0/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के आवंटन/चयन हेतु निम्न आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है :–

(क)	अनुसूचित जाति	–	21 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	02 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़े वर्ग	–	27 प्रतिशत

2. उपर्युक्तानुसार आरक्षित श्रेणियों में निम्नलिखित हॉरिजेन्टल आरक्षण भी अनुमन्य होगा :–

(क)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को	– 20 प्रतिशत
(ख)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, पूर्व सैनिक	– 08 प्रतिशत
(ग)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/उनकी पत्नी	– 05 प्रतिशत
(घ)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को	– 02 प्रतिशत

3. होरिजेन्टल आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु लड़ाई में मारे गये सैनिक परिवार के सदस्य/घायल सैनिक अथवा उनके परिवार के सदस्य, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी पत्नी तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण सुनिश्चित् करने हेतु दुकानों का चिन्हाँकन निर्धारित प्रतिशत तक लाटरी पद्धति से किया जायेगा। प्रस्तर–2 के 'क', 'ख', 'ग', 'घ' हेतु प्रत्येक के लिये क्रमवार एक–एक पर्ची तब तक निकाली जायेगी जब तक निर्धारित आरक्षण का चिन्हाँकन पूर्ण नहीं हो जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। परन्तु आरक्षित वर्ग की रिक्तियाँ उसी वर्ग से भरी जायेगी।

गृहकर में छूट

प्रेषक,

शिव जनम चौधरी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0
करियप्पा भवन, कैसर बाग, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 03

विषयः– <u>पूर्व सैनिकों को गृहकर से मुक्ति प्रदान करने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक– 5520/स0प0–3, दिनांक 18.08.2003 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा पूर्व सैनिकों को भी गृहकर से मुक्ति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा केवल देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन जिसमें वह स्वयं निवास कर रही हैं, को गृहकर से छूट प्रदान की गयी है। यह छूट केवल नगर निगमों के अन्तर्गत ही दी जा रही है । प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को गृहकर/जलकर से छूट प्रदान किए जाना प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है।

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)
अनु सचिव

निःशुल्क बस पास

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र संख्याः–177 विविध/2013–7विविध/2009 दि0: 30 सितम्बर, 2013

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों एवं पुलिस बल के जवानों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–982 सीएसी/2002–52सीएसी/78 दिनांक 23.05.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निदेशक मण्डल द्वारा 153वीं बैठक दिनांक 01.05.2002 में लिये गये निर्णय के अनुसार सैन्य बल के सैनिको/अधिकारियों को युद्ध एवं शान्ति के समय वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किये जाने पर निगम बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी, के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भेजे गये थे। इस परिपत्र के अनुसार निम्न् वीरता पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य की गयी थीः–

1. परमवीर चक्र।
2. अशोक चक्र।
3. सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
4. परम विशिष्ट सेवा मेडल।
5. महावीर चक्र।
6. कीर्ति चक्र।
7. उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
8. अति विशिष्ट सेवा मेडल।
9. वीर चक्र।
10. शौर्य चक्र।
11. युद्ध सेवा मेडल।
12. सेना मेडल।
13. विशिष्ट सेवा मेडल।
14. मेन्सन इन डिस्पैचेज।
15. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड।

उपरोक्त अंकित बिन्दु संख्या–15 में "चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड" का उल्लेख होने के फलस्वरूप मात्र थल सेना के "कमेन्डेशन कार्ड" धारकों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध हो पा रही थी तथा नौ सेना एवं वायु सेना के सैनिकों/अधिकारियों के उक्त "कमेन्डेशन कार्ड" धारकों को निगम बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी।

अतः उपरोक्त अंकित बिन्दु 15 के समतुल्य निम्न 2 श्रेणियों से पुरस्कृत व्यक्तियों को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय निगम निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.09.2013 को आयोजित 195वीं बैठक में लिया गया है:–

1. चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड।
2. चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड।

इस सुविधा हेतु पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 23.05.2002 में निर्धारित नियम और शर्तें पूर्ववत् प्रभावी होगी।

24/9/13

(राजेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. समस्त अधिकारी उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

सवेरा योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकरण

उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां 75 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को मुख्यालय यूपी–112 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सवेरा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकरण किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है ।

मुख्यालय यूपी-112, उत्तर प्रदेश पुलिस

112 भवन, 7/13 गोमती नगर विस्तार शहीद पथ लखनऊ e-mail :[illegible]-up@gov.in

पत्र संख्याः सी[illegible]/OPS-112(514)2023 दिनांकः अगस्त 22 ,2023

सेवा में,

ऑफिसर इंचार्ज,
समस्त जिला सैनिक कल्याण बोर्ड,
उ0प्र0 ।

विषयः सवेरा योजना के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किये जाने के संबंध में ।

कृपया अवगत कराना है कि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र संख्या- 660 /6-पु-15/2023 दिनांक 04 जुलाई, 2023 द्वारा दिनांक 22.06.2023 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सेफ सिटी परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक में वरिष्ठ नागरिकों से मिलना एवं मदद करना के संबंध में सवेरा स्कीम की SOP यूपी-112 द्वारा तैयार कर वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण एवं सूचना अद्यावधिक कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के उत्तर प्रदेश के नागरिक पंजीकरण कराकर यूपी-112 की सेवाएं प्राप्त कर सकते है । पंजीकरण के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित रिकॉर्ड यूपी-112 के सिस्टम में सुरक्षित रहता है । सहायता हेतु कॉल करने पर वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान की जाती है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के वरिष्ठ नागरिकों का **सवेरा योजना** के अंतर्गत पंजीकरण करवाया जाना अपेक्षित है । **सवेरा योजना** के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है -

पंजीकरण के माध्यम/प्रक्रिया :-

A- कोई भी वरिष्ठ नागरिक यूपी-112 में कॉल करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता व अन्य विवरण के संबंध में जानकारी देकर पंजीकरण करवा सकता है । यूपी-112 मुख्यालय की संवाद अधिकारी (Communication Officer) द्वारा पंजीकरण किया जायेगा ।

B- वरिष्ठ नागरिक द्वारा स्वयं एंड्रायड फोन / डेस्कटॉप / लैपटॉप से URL 125.16.12.217 / Srcitizenreg के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते है ।

अतः आप जनपद के भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है को सवेरा योजना के अंतर्गत स्वयं अपना पंजीकरण करने अथवा 112 पर कॉल करके पंजीकरण करवाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(दिनेश त्रिपाठी)
पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन्स
मुख्यालय यूपी-112, लखनऊ

प्रतिलिपिः समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों का सवेरा योजना में पंजीकरण करवाने का कष्ट करें ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

पत्र संख्याःकल्याण–आर्म्ड फोर्सेज-हेल्पलाइन/2022 दिनाँकःअगस्त 10, 2022

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेज के कर्मियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) या उनके परिवारजनों के सामने आने वाली समस्यायें यथा भूमि विवाद, परिवारों का उत्पीड़न इत्यादि जो प्रमुखतया पुलिस कर्मियों के ड्यूटी में घर से बाहर रहने पर, इनके निस्तारण में समस्यायें आती हैं। ऐसी समस्याओं के त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ स्थित कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ के अन्तर्गत 'DEF HELPLINE' का गठन किया जाता है, जिसके नोडल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत होंगे।

2– आर्म्ड फोर्सेज के कर्मियों की समस्याओं के निदान हेतु निम्न से सम्पर्क कर अपनी समस्या का निस्तारण कराया जा सकता है:–

1	हेल्पलाइन नम्बर	7839877707
2	ई–मेल आई0डी0	defhelpline.uppolice@gmail.com
3	पर्यवेक्षण अधिकारी का नम्बर	9454400691

3– उक्त व्यवस्था में जनपद स्तर से त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक जनपद में जनपद प्रभारी द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी ऐसी समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त होकर पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

10/8/2022
(डा0 एन रविन्दर)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– लेफ्टिनेंट कर्नल शिव बहादुर सिंह, DCWE कमाण्डर वर्क्स इन्जीनियर्स (AF) नार्थ, मिलिट्री इन्जीनियर सर्विसेज, बेल्लारी रोड, जे0सी0 नगर पोस्ट, बंगलोर–560006।

2– पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

शहीदों को सम्मान

द्वारा- E - mail /महत्वपूर्ण

संख्या- ३५६ /वीस-7-वि-2023

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7 (विविध) लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2023

विषय- **स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 आयोजन के अवसर पर वीरता पदक प्राप्त एवं सेना के वीर शहीदों के आश्रितों को जनपद स्तर पर सम्मानित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के सेना के शहीदों के आश्रितों को 15 अगस्त 2023 को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह को सम्मानित किया जाना है। अतः प्रदेश के जनपदों के सेना के वीरता एवं विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त एवं सेना के वीर शहीदों की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूची के आधार पर जनपद में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए शहीदों के आश्रितों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(i)-कारगिल शहीदों के व आश्रितों की सूची।
(ii)-2017 से अब तक शहीदों के व आश्रितों की सूची।
(iii)-वीरता एवं विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किये गये सैनिकों की सूची।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/वीस-7-वि-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निदेशक, सैनिक कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव

शहीद स्मारक का निर्माण एवं सम्मान

महत्वपूर्ण

संख्याः 1/2020/124/38-10-2020-24/17टीसी।

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी, 2020

विषयः मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों में शहीद सैनिक के ग्रामों में शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्याः 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-3(ii) योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रम में बिन्दु सं0-24 पर संस्कृति विभाग से संबंधित "शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना" कार्यक्रम सम्मिलित है। उक्त शासनादेश के अनुसार शहीद सैनिक के ग्रामों में शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना संस्कृति विभाग द्वारा की जानी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-3(ii) के बिन्दु संख्या-24 "शहीद सैनिक की मूर्ति स्थापना" के संबंध में संस्कृति विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नानुसार अनुपालन कार्यवाही कराए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- शहीद सैनिक की मूर्ति का निर्माण संस्कृति विभाग द्वारा कराया जायेगा।
2- शहीद सैनिक की मूर्ति की स्थापना से संबंधित कार्य उस जनपद की जिला पंचायत द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा।
3- शहीद सैनिक की मूर्ति, लागत रु0 02.00 लाख तक होने की स्थिति में धनराशि संबंधित जनपद की जिला पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जायेगी।
4- शहीद सैनिक की मूर्ति की लागत रु0 2.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में उक्त व्यय संस्कृति विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में व्यवस्था कराते हुए वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

-2-

4- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5- उपर्युक्त शासनादेश संख्या 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
के0 रविन्द्र नायक
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 1/2020/124 (1)/38-10-2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, नियोजन/वित्त, उ0प्र0 शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन एवं वन्यजीव, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, दुग्ध विकास, कृषि एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

11- गार्ड फाइल।

सुरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

शहीद स्मारक का निर्माण एवं सम्मान

पत्र सं0- 1944/चार 2023

प्रेषक,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति विभाग

लखनऊः दिनांक 03 जुलाई ,2023

विषय-स्वतंत्रता के पश्चात युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक के निर्माण हेतु कार्ययोजना के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या-814/सं0नि0-6(03)/2023-24, दिनांक 08 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारकों के निर्माण हेतु कार्ययोजना संलग्न कर शासन स्तर से निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना को शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कृपया तद्नुसार प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

शहीद स्मारक का निर्माण एवं सम्मान

प्रेषक,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

A.D.M/F.F.C

जिलाधिकारी
इटावा।

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई, 2023

विषय : स्वतन्त्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक के निर्माण हेतु प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1944/चार–2023, दिनांक 03 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा स्वतन्त्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक के निर्माण हेतु कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा स्वतन्त्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक के निर्माण का कार्य कराया जाता है।

अतएव अनुरोध है कि अपने जनपद के स्वतन्त्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण हेतु सुसंगत प्रस्ताव/आगणन एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(शिशिर)
निदेशक

संख्या– /सं.नि.–6(03)/2023–24, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति अनुभाग, बापू भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कुमार अग्निहोत्री)
सहायक निदेशक

जिला सैनिक बन्धु बैठक

संख्या–15 मु0से0/4

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश ।

सैनिक कल्याण अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2016

विषय: सैनिक एवं उनके परिवारजनों की शिकायतों/समस्याओं का प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से निराकरण कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या–1244/48–2008–96(विविध)/91 टी0सी0 दिनांक 20.09.2008, शासनादेश संख्या–1224/48–2008–96(विविध)/91 टी0सी0–II दिनांक–17.09.2008 एवं शासनादेश संख्या–09सी0एम0/48–2015 दिनांक–30.03.2015 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **"जिला सैनिक बन्धु"** का गठन एवं लोकवाणी योजना द्वारा सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परतापूर्वक कार्यवाही किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– विभिन्न प्रकरणों में जवानों के द्वारा अपने गृह स्थान पर होने वाली कठिनाईयों के संबंध में **"जिला सैनिक बन्धु"** की बैठकों में जनपदीय अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही न करने पर वह अपने अल्प अवकाश की अवधि में अनेक घरेलू समस्याओं जैसे–सम्पत्ति, भूमि विवाद तथा असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न की जा रही छोटी–छोटी समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाते हैं, जिससे उत्पन्न मानसिक अशान्ति सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करती है।

3– जिला सैनिक बन्धु का गठन /लोकवाणी योजना का प्रारम्भ भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों की समस्याओं का सुनियोजित एवं समयबद्ध रूप से निराकरण किये जाने हेतु किया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सैनिकों की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है और सैनिक बन्धु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नही की जा रही है जिससे भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण समय से नही हो पा रहा है । यह स्थिति राष्ट्र हित में उचित नही है ।

4– अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रत्येक माह सैनिक बन्धु की बैठक नियमित रूप से कराते हुये सेवारत एवं पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार से प्राप्त शिकायतों व समस्याओं का समयबद्ध रूप से निस्तारण कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

केन्द्र सरकार द्वारा देय सुविधायें

भारत सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिये सुविधायें व रियायतें प्रदान करती है । जिसकी अधिसूचना समय–समय पर जारी की जाती है । भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की भूमिका अहम है, जिसकी विस्तृत जानकारी केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख सुविधाएं निम्नवत् हैं:

S. NO.	Financial Assistance	Amount (in RS.)
1	**Penury (65 Yrs and above)**	4,000/- pm (life time)
	(Non-Pensioner upto Hav Rank)	
2	**Education**	1,000/- pm up to 2 Children
	(Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	
	i) Boys/Girls up to Graduation	
	ii) Widows PG	
3	**Disabled Children**	3,000/- pm
	(Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	
4	**Daughter's Marriage(02 Daughters)**	50,000/-(one Time)
	(Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	
5	**Medical Treatment**	30,000/- (Max)
	(Non Pensioner up to Hav Rank)	
6	**Orphan** (Pensioner/Non Pensioner all Rank)	3,000/- pm
	• Daughter of ex-servicemen till she is married	
	• One son of ex-servicemen upto 21 years of age	
7	**Vocational Trg for Widows**	20,000/- (one Time)
	(Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	
8	**Treatment of Serious Diseases to Non Pensioner ESM**	Maximum of Rs. 1,25,000/- per year and for treatment of Cancer/dialysis subject to a maximum of Rs. 75000/- per annum as follows:-
		(a) **For Non Pensioner Officer/Widows**. 75% of total expenditure incurred on Medical treatment, hospitalization, medicines etc
		(b) **For Non Pensioner other Ranks /Widows**. 90% of total expenditure incurred on Medical treatment, hospitalization, medicines etc.
9	**Procurement of Mobility Equipment for Disabled**	Maximum of Rs 57,500/- per ESM
10	**Intrest Subsidy on home Loan**	50% of the interest reimbursed
11	**Prime Minister ScholarShip Scheme(PMSS)**	(a) Rs. 2500- Per month for Boys
		(b) Rs. 3000/- Per month for girls
		Paid annually after selection

महत्वपूर्ण जानकारियाँ

उत्तर प्रदेश के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की सूची

क्रमांक	जनपद	कार्यालय का पता	सम्पर्क नं / कार्यालय सी यू जी नं
1.	आगरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट कैम्पस, आगरा - 282001	05622260549, 7839553205 zsaag-up@nic.in
2.	अलीगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, अलीगढ़ - 222001	05712401763, 7839553206 zsaal-up@nic.in
3.	अम्बेडकर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पुराना कलेक्ट्रेट परिसर,अकबरपुर अम्बेडकर नगर - 224122	05271246818, 7839553208 zsaan-up@nic.in
4.	अमेठी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय निकट लोधी बाबा मंदिर ,रायबरेली रोड ,गौरी गंज अमेठी,अमेठी-227409	05368244337 8765610974 zsaam-up@nic.in
5.	अमरोहा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, अमरोहा - 244221	05922252109, 7839553245 zsajp-up@nic.in
6.	अयोध्या	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय सिविल लाइंस, अयोध्या - 224001	05712401763, 7839553206 zsaal-up@nic.in
7.	आजमगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के सामने, रिदऊपुर, आजमगढ़ - 276001	05462220820, 7839553209 zsaaz-up@nic.in
8.	औरैया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कुकौर मुख्यालय,औरैया- 206241	7839553210 zsaau-up@nic.in

9.	बदायूं	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय नजदीक जिला पंचायत गेट, बदायूं - 243601	05832267122, 7839553211 zsabd-up@nic.in
10.	भदोही	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय परिसर ग्राम सरपतहा, भदोही - 243601	05832267122, 7839553211 zsabd-up@nic.in
11.	बागपत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कोर्ट रोड नजदीक तहसील, बागपत-262501	01215555843, 7839553213 zsabg-up@nic.in
12.	बहराइच	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय माल कचेहरी, बहराइच - 271801	05252234775, 7839553215 zsabh-up@nic.in
13.	बिजनौर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर- 246701	01342262994, 7839553214 zsabi-up@nic.in
14.	बलिया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय एन सी सी तिराहा, हरपुर, बलिया - 277001	05498240202, 7839553216 zsabl-up@nic.in
15.	बलरामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय निकट जिला एवं सत्र न्यायालय धुसाहा बलरामपुर - 271201	05263235086, 7839553217 zsablp-up@nic.in
16.	बांदा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय तहसील परिसर, बांदा - 210001	05192297500, 7839553218 zsabn-up@nic.in

17.	बाराबंकी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय फैजाबाद रोड, जज आवास के सामने बाराबंकी - 225001	05248222565, 7839553219 zsabb-up@nic.in
18.	बरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय डा0 प्रेम गली कचेहरी परिसर, बरेली-243001	058123502987, 7839553220 zsambr-up@nic.in
19.	बस्ती	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे, बस्ती - 272001	05542246670, 7839553221 zsabs-up@nic.in
20.	बुलंदशहर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कचेहरी रोड, बुलंदशहर - 203001	05732282562, 7839553223 zsabu-up@nic.in
21.	चन्दौली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, चन्दौली - 202104	05412260700, 7839553224 zsacd-up@nic.in
22.	चित्रकूट	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय ग्राम गधीवा, सोनेपुर रोड, डी एम आफिस से 1 किमी दूर, चित्रकूट - 210205	05198236475, 7839553225 zsact-up@nic.in
23.	देवरिया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास, सिविल लाइंस,देवरिया - 274001	05568222450, 7839553226 zsade-up@nic.in
24.	एटा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, एटा - 207001	05742 297091, 7839553227 zsaet-up@nic.in
25.	इटावा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय रेलवे स्टेशन रोड, इटावा - 206001	05688254167, 7839553228 zsaew-up@nic.in

26.	फतेहगढ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्टेडियम के सामने, फतेहगढ, - 209601	05692234890, 7839553230 zsafr-up@nic.in
27.	फतेहपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय नजदीक पुलिस अधीक्षक कार्यालय फतेहपुर - 212601	05180224232, 7839553231 zsaft-up@nic.in
28.	फिरोजाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय क्वार्टर नं0 489,सुहाग नगर, सेक्टर1,फिरोजाबाद- 283203	05612230944, 7839553233 zsaft-up@nic.in
29.	गौतमबुध्द नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पुराना राजकीय डिग्री कालेज, सेक्टर 19, सी ब्लाक, गौतमबुध्द नगर- 201301	01202544814, 7839553234 zsagb-up@nic.in
30.	गाजियाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, राजनगर गाजियाबाद - 201002	01202822643, 7839553235 zsaga-up@nic.in
31.	गाजीपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय हेड पोस्ट आफिस, गाजीपुर - 233001	05482226671, 7839553236 zsagp-up@nic.in
32.	गोंडा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय अम्बेडकर नगर चौराहा, जज बंग्ला के सामने, गोंडा - 271001	05262230038, 7839553237 zsagn-up@nic.in
33.	गोरखपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय आयुक्त कार्यालय के सामने सिविल लाइन्स, गोरखपुर-273001	05512337643, 7839553238 zsagr-up@nic.in
34.	हमीरपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पुलिस आफिस के सामने, हमीरपुर - 210301	7839553239 zsahm-up@nic.in

35.	हापुड	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट, हापुड, - 245101	8765610970 zsahp-up@nic.in
36.	हरदोई	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय नजदीक सिनेमा चौराहा, हरदोई - 241001	05852234733, 7839553240 zsahr-up@nic.in
37.	हाथरस	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, हाथरस- 204121	05722226245, 7839553241 zsaht-up@nic.in
38.	जालौन	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय चुर्खी रोड, बघौरा, जालौन -285001	05162252798, 7839553242 zsajl-up@nic.in
39.	जौनपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय सिविल लाइन्स, जौनपुर - 222002	05452261110, 7839553243 zsaju-up@nic.in
40.	झांसी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय जज कम्पाउन्ड के पास, सिविल लाइन्स,झांसी-284001	05102980791 7839553244 zsajh-up@nic.in
41.	कन्नौज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय नजदीक विकास खण्ड कार्यालय सराय मीरा रोड,, कन्नौज - 209725	05694234071, 7839553246 zsakj-up@nic.in
42.	कानपुर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, कानपुर नगर - 208001	0512 2306648, 7839553247 zsakn-up@nic.in
43.	कानपुर देहात	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय विकास भवन के पीछे, कलेक्ट्रेट परिसर कानपुर देहात - 208001	0511270465, 7839553248 zsakd-up@nic.in

44.	कासगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने, सोरां रोड, प्रहलादपुर के पास, कासगंज - 207403	05744272002, 7839553249 zsakr-up@nic.in
45.	कौशांबी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय जिलाधिकारी आवास रोड मंझनपुर, कौशांबी -212207	05331232642, 7839553250 zsaks-up@nic.in
46.	खीरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय लखीमपुर, कलेक्ट्रेट परिसर, खीरी - 262701	05872252757, 7839553251 zsalk-up@nic.in
47.	कुशीनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय रवीन्द्र नगर, कुशीनगर - 274304	05564297193, 7839553262 zsaku-up@nic.in
48.	ललितपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पुरानी तहसील, ललितपुर - 284402	05176297801, 7839553252 zsala-up@nic.in
49.	लखनऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय सैनिक भवन, कैसरबाग, लखनऊ - 226001	05222622367, 7839553254 zsalu-up@nic.in
50.	महाराजगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट मुख्यालय, महाराजगंज - 273303	05523 223863, 7839553255 zsamg-up@nic.in
51.	महोबा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पथा रोड, नजदीक पावर हाउस, भाटीपुरा महोबा - 210427	05281298073 7839553256 zsamh-up@nic.in
52.	मैनपुरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी - 205001	05672234890, 78395532 zsamp-up@nic.in

53.	मथुरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय नजदीक सिविल लाइन्स, मथुरा - 281001	0565 2471749, 7839553258 zsamt-up@nic.in
54.	मऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, रूम नं – 07 मऊ - 275101	05472970022 7839553259 zsamb-up@nic.in
55.	मेरठ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ - 250001	01212973551, 7839553260 zsame-up@nic.in
56.	मीरजापुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय सिविल लाइन्स, फटहा,मोर्चा घर, मीरजापुर-231001	05442 256372, 783955326 zsami-up@nic.in
57.	मुरादाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कचेहरी रोड, कोर्ट परिसर मुरादाबाद - 244001	05912971988 7839553253 zsamo-up@nic.in
58.	मुजफ्फर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय मालवीय चौक, मुजफ्फर नगर - 251001	01312437623, 7839553263 zsamu-up@nic.in
59.	पीलीभीत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय परिसर, सिविल लाइन्स एरिया, कुचेरे, पीलीभीत - 262001	05882 258882, 7839553294 zsapi-up@nic.in
60.	प्रतापगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, प्रतापगढ़ - 230001	05342220891, 7839553265 zsapr-up@nic.in
61.	प्रयागराज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय लोक सेवा आयोग गेट नं 5 के सामने थार्न हिल रोड, प्रयागराज- 211001	05322548434, 7839553207 zsaah-up@nic.in

62.	रायबरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय सैनिक भवन, नजदीक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग रायबरेली - 229001	05352975208, 7839553267 zsarb-up@nic.in
63.	रामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, रामपुर - 244901	05952350022, 7839553266 zsara-up@nic.in
64.	सहारनपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय रेलवे रोड, सहारनपुर - 247001	01322643629, 7839553269 zsasa-up@nic.in
65.	सम्भल	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पँवासा परिसर, सम्भल बहजोई मार्ग सम्भल - 244302	8765610972 zsasam-up@nic.in
66.	संत कबीर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, संत कबीर नगर - 272175	05547226778, 7839553268 zsask-up@nic.in
67.	शाहजहाँपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, शाहजहाँपुर - 242001	05842223005, 7839553270 zsasj-up@nic.in
68.	शामली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय राष्ट्रीय किसान इण्टर कालेज करनाल रोड, शामली- 247776	01398251003, 8765610973 zsasm@gov.in
69.	श्रावस्ती	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय जूनियर हाई स्कूल भिन्गा लक्ष्मणपुर रोड वृद्धा आश्रम के सामने, पोस्ट भिनगा श्रावस्ती - 271831	7839553274 zsasv-up@nic.in

70.	सिध्दार्थ नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय तहसील परिसर, सिध्दार्थ नगर - 272207	05544220345, 7839553271 zsasn-up@nic.in
71.	सीतापुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय लालबाग, सीतापुर - 261001	05862242055, 7839553272 zsasi-up@nic.in
72.	सोनभद्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पोस्ट-राबर्टगंज, विकास भवन, रूम नं 52,सोनभद्र- 231216	05444223885, 7839553273 zsaso-up@nic.in
73.	सुल्तानपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय सिविल लाइन्स, तिकोनिया पार्क सुल्तानपुर - 228001	05362240416, 7839553275 zsasu-up@nic.in
74.	उन्नाव	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय निकट रामपुरी रेलवे स्टेशन सिविल लाइन, उन्नाव - 209801	05152820544, 7839553276 zsaun-up@nic.in
75.	वाराणसी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, वाराणसी - 221002	05422508254, 7839553277 zsava-up@nic.in

CENSUS REPORT OF ESM & WIDOWS AS ON 30 SEP 2023

Sr.N	ZSB	ESM			TOTAL	Widows			TOTAL	Grand Total
		ARMY	NAVY	AF		ARMY	NAVY	AF		
1	Agra	14044	322	864	**15230**	1544	64	160	**1768**	**16998**
2	Aligarh	7998	380	911	**9289**	1074	22	52	**1148**	**10437**
3	Ambedkar Ngr	1072	86	159	**1317**	207	16	22	**245**	**1562**
4	Amethi	2174	254	357	**2785**	413	57	98	**568**	**3353**
5	Amroha	986	42	125	**1153**	131	9	8	**148**	**1301**
6	Auraiya	3755	85	271	**4111**	792	5	16	**813**	**4924**
7	Ayodhya	4755	285	314	**5354**	1333	37	52	**1422**	**6776**
8	Azamgarh	5185	836	572	**6593**	550	26	35	**611**	**7204**
9	Badaun	2760	108	45	**2913**	562	5	3	**570**	**3483**
10	Bagpat	8206	326	617	**9149**	1559	18	56	**1633**	**10782**
11	Bahraich	459	34	15	**508**	97	2	4	**103**	**611**
12	Balia	10386	1578	2257	**14221**	2322	183	642	**3147**	**17368**
13	Balrampur	143	18	5	**166**	45	2	1	**48**	**214**
14	Banda	2962	30	113	**3105**	473	0	10	**483**	**3588**
15	Barabanki	1490	59	72	**1621**	582	7	14	**603**	**2224**
16	Bareilly	8408	254	490	**9152**	1462	41	115	**1618**	**10770**
17	Basti	2084	146	162	**2392**	431	11	28	**470**	**2862**
18	Bhadohi	283	32	61	**376**	47	1	7	**55**	**431**
19	Bijnor	1997	99	157	**2253**	533	12	6	**551**	**2804**
20	Bulandshahar	13110	7364	6927	**27401**	2475	1348	1319	**5142**	**32543**
21	Chandauli	2371	150	149	**2670**	145	6	7	**158**	**2828**
22	Chitrakoot	765	12	44	**821**	102	4	3	**109**	**930**
23	Deoria	5731	194	715	**6640**	1075	20	57	**1152**	**7792**
24	Etah	10752	102	116	**10970**	1422	20	7	**1449**	**12419**
25	Etawah	6907	146	272	**7325**	1410	16	35	**1461**	**8786**
26	Fatehgarh	7683	110	174	**7967**	1837	14	23	**1874**	**9841**
27	Fatehpur	5932	383	347	**6662**	726	36	48	**810**	**7472**
28	Firozabad	4721	110	140	**4971**	1117	19	23	**1159**	**6130**
29	GB Nagar	6710	459	1907	**9076**	817	105	251	**1173**	**10249**
30	Ghaziabad	4362	1865	424	**6651**	853	414	97	**1364**	**8015**
31	Ghazipur	27813	957	649	**29419**	3170	65	52	**3287**	**32706**
32	Gonda	2667	68	30	**2765**	510	15	14	**539**	**3304**
33	Gorakhpur	4373	695	1728	**6796**	891	40	188	**1119**	**7915**

34	**Hamirpur**	1579	48	125	**1752**	250	7	15	**272**	**2024**
35	**Hapur**	4105	120	256	**4481**	1061	9	16	**1086**	**5567**
36	**Hardoi**	4226	160	240	**4626**	1062	50	32	**1144**	**5770**
37	**Hathras**	6488	89	82	**6659**	996	7	9	**1012**	**7671**
38	**Jalaun**	3494	71	113	**3678**	989	8	11	**1008**	**4686**
39	**Jaunpur**	2557	362	315	**3234**	250	23	97	**370**	**3604**
40	**Jhansi**	1834	67	193	**2094**	478	5	9	**492**	**2586**
41	**Kannauj**	3392	57	206	**3655**	675	4	16	**695**	**4350**
42	**Kanpur Dehat**	4993	209	347	**5549**	769	10	34	**813**	**6362**
43	**Kanpur Nagar**	7988	5425	731	**14144**	1009	768	77	**1854**	**15998**
44	**Kasganj**	703	33	54	**790**	145	0	2	**147**	**937**
45	**Kaushambi**	1226	52	146	**1424**	143	2	22	**167**	**1591**
46	**Kheri**	2102	15	50	**2167**	68	1	2	**71**	**2238**
47	**Kushinagar**	9148	108	89	**9345**	457	47	37	**541**	**9886**
48	**Lalitpur**	136	3	13	**152**	34	0	1	**35**	**187**
49	**Lucknow**	19373	4175	3803	**27351**	2290	369	345	**3004**	**30355**
50	**Mahrajganj**	1046	75	80	**1201**	236	21	19	**276**	**1477**
51	**Mahoba**	252	27	19	**298**	57	1	3	**61**	**359**
52	**Mainpuri**	9614	157	125	**9896**	2945	8	9	**2962**	**12858**
53	**Mathura**	9714	297	409	**10420**	1613	22	22	**1657**	**12077**
54	**Mau**	4218	408	434	**5060**	511	29	41	**581**	**5641**
55	**Meerut**	12692	641	931	**14264**	2611	63	86	**2760**	**17024**
56	**Mirzapur**	1486	106	159	**1751**	118	2	7	**127**	**1878**
57	**Moradabad**	1132	60	72	**1264**	547	6	10	**563**	**1827**
58	**Muzaffar Ngr**	3720	121	605	**4446**	609	65	79	**753**	**5199**
59	**Pilibhit**	854	14	9	**877**	114	1	1	**116**	**993**
60	**Pratapgarh**	6044	145	287	**6476**	857	20	71	**948**	**7424**
61	**Prayagraj**	6497	400	2063	**8960**	933	41	244	**1218**	**10178**
62	**Raibareli**	5681	697	839	**7217**	1168	174	180	**1522**	**8739**
63	**Rampur**	1693	21	28	**1742**	827	7	6	**840**	**2582**
64	**Saharanpur**	2997	734	164	**3895**	728	82	18	**828**	**4723**
65	**Sambhal**	864	32	34	**930**	342	3	6	**351**	**1281**
66	**Santkabir Ngr**	818	40	106	**964**	141	8	7	**156**	**1120**
67	**Shahjahanpur**	2484	62	73	**2619**	905	10	10	**925**	**3544**
68	**Shamli**	3055	272	53	**3380**	273	27	6	**306**	**3686**
69	**Shravasti**	127	2	5	**134**	32	0	0	**32**	**166**
70	**Siddharth Ngr**	514	66	52	**632**	160	6	6	**172**	**804**

71	**Sitapur**	1095	20	85	**1200**	275	12	18	**305**	**1505**
72	**Sonbhadra**	252	14	35	**301**	8	1	1	**10**	**311**
73	**Sultanpur**	5526	164	418	**6108**	1642	76	78	**1796**	**7904**
74	**Unnao**	2952	185	580	**3717**	695	5	58	**758**	**4475**
75	**Varanasi**	5758	722	1094	**7574**	522	50	78	**650**	**8224**
	Grand Total	347473	34065	36711	**418249**	60252	4690	5242	**70184**	**488433**

गौरवपूर्ण इतिहास तथा धरोहरों का संकलन

उत्तर प्रदेश के वीरों की वीरगाथाओं को जन–जन तक पहुचाने के लिये 'वीरता और सम्मान' तथा 'शौर्य और पराक्रम' पुस्तकों का प्रकाशन कराया गया एवं निदेशालय व जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के लगभग 105 वर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास तथा धरोहरों का संकलन कर विरासत पुस्तक का प्रकाशन कराया जा रहा है तथा सैनिक कल्याण की धरोहरों को ''कॉफी टेबल बुक'' के रूप में संग्रहित कर पुस्तक का रूप देने के लिये प्रयासरत है।

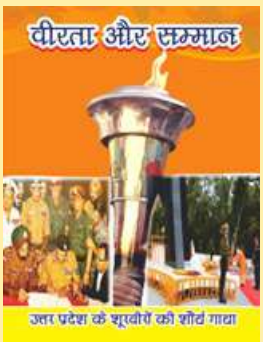

स्मारिका

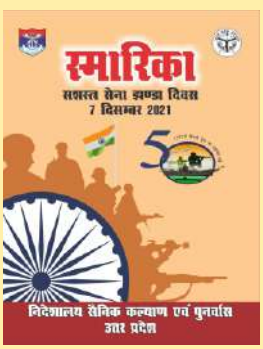

प्रति वर्ष 07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर माननीया राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया जाता है।

देश में शान्तिकाल के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार 'अशोक चक्र' से सम्मानित
कैप्टन (ले.कर्नल) जसराम सिंह (सेवानिवृत्त)

कैप्टन (ले.कर्नल) जसराम सिंह, अशोक चक्र
(ऑपरेशन मिजो हिल्स)
जन्म: 01 मार्च 1935, जन्म स्थान: बुलन्दशहर
सेवा वर्ष: 1953-1990, पदक तिथि: 30 अक्टूबर 1968

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश

करियप्पा भवन, मोना चन्द्रावती मार्ग, कैसरबाग, लखनऊ–226001
करिय्यपा भवन, कैसरबाग, लखनऊ
सम्पर्क – **0522-2623909, 2611150, 2625354**
ईमेल– **dirskpnlu-up@nic.in** वेबसाइट– **http://skpn.up/gov.in**

BAKHSHISH # 9935147093